PENSION RULES

बीक्स्द्रो संबद्धकी से (बीक्पन -)-127 - AMADAGE

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



Intermediate of India

असाधारगा EXTRAORDINARY

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 504] No. 504] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवस्वर 16, 1990/कातिक 25, 1912 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 1990/KARTIKA 25, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह असग अंकालन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम श्रीर रसायन मंद्रालय (पेट्रोलियम श्रीर प्राकृतिक गैस विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1990[°]

मा, का नि 917 (म्र):--केन्द्रीय सर्रकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त णवितयों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थान्:--

यध्याय--- 1

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :--(1) इन निषमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास योर्ड कर्मचारी (पेंगन) नियम, 1990 है
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
- लागू होना :—-ये नियम बोर्ड के निम्नलिखित से भिन्न सभी कर्मचारियों को लागू होने :—
 - (1) वे जी श्राकस्मिक स्रीर दैनिक मजदूरी वाले नियोजन में हैं;

- (2) वे जो समेकित वैतन पर किसी विनिर्दिष्ट श्रविध के लिए मंबिदा पर नियोजित किए गए हैं तब के सिवाय जब कि संविदा में श्रन्यथा उपबंधित हो;
- (3) ग्राणिदायी भविष्य निधि की प्रमुविधायों के हकदार कर्मचारी;
- (4) ग्रंबंत्र सेवा निबंधनों पर बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर व्यक्ति;
- (5) वे जो सेवा के विशेष निबंधनों और कर्तो पर नियुक्त किए गए हैं या जिनकी बोर्ड में नियुक्ति पर भी सेवा के नियंधनों और कर्तो में अन्यथा उनवंधित है या जो किसी अन्य विधि, निवम या उनविनियतों के उनवंधों द्वारा या उनके अर्थान विनियमित की जाती हैं।
- 3. परिमाणाणं :---इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से ग्रन्थथा ग्रंपेक्षित न हो ;
 - (क) "लेखा अधिकारी" से बोई का वितीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी अभिनेत हैं;
 - (ख) "बोई" में तेल उद्योग विकास बोई ऋभिष्रेत है ;
 - (ग) "ग्रध्यक्ष" से बोर्ड का ग्रध्यक्ष ग्रभिष्रेत हैं '

3076 GI/90

- (घ) "बालक" से किसी कर्मचारी का ऐसा कोई वालक अभिन्नेत है, जो 25 वर्ष से कम आयु का है;
- (ङ) "सक्षम प्राधिकरण" से बोर्ड श्रभिप्रेत है और इंग्ले अलार्गत ममय-ममय पर पथा संबोधित तल अशाम विकास योर्ड कर्मचारी सेवा की गाधारण शर्ने; (नियम, 1984 में इस प्रकार विनिदिष्ट कोई प्राधिकरण भी हैं;
- (च) "कर्मचारी" से बोर्ड का कोई कर्मचारी अभिन्नेत है -
- (छ) मध्य से तिया से ऐसी सेवा समित्रेत है जिसमें बोर्ड का कोई कर्मचारी तेल उद्योग विकास निधि से मिन्न किसी स्त्रोत में बोर्ड की मंजूरी से अपना बेतन प्राप्त करता है –
- (ज) "प्रमृष" से इन नियमों से उपायद्ध प्रमृष समितित है :
- (झ) "धवयस्क" से ऐसा कोई व्यक्ति ग्रामिन है दिसने प्रधारह वर्ष की श्राय पूरी न की हो-
- (ज) "पेंजन संवितरण प्राधिकारी" से लेखा यभिकारी ग्राभिवेत है-
- (ट) "पेंशन मंजूर करने बाला प्राधिकारी" से ममय-समय पर यथा संशोधित तेल अद्योग विकास बोर्ड कर्मनारी (मेवा की साधारण शर्ते) नियम, 1984 के नियम 2 के खंड (ख) में यथा परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत हैं -
- (ठ) "मचिव" से बोई का मचिव ग्रशिप्रेत है;
- (इ) "श्रह्क सेवा" से कर्तव्य पर रहकर या श्रन्यथा की गई ऐसी ﷺ सेवा श्रमिप्रेत है जो इन नियमों के श्रधीन श्रन्त्रवेग पेंजनों ग्रीर उपदानों के प्रयोजन के लिए लेखें में ली जाएगी:

ग्रध्याय 2

सामान्य शर्ते

4 पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के दावों का विनियमन:—(1) पेंशन या कुटुम्ब पेंशन संबंधी कोई भी दावा उस समय, जब कोई कर्मचारी, यथास्थिति, सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है या सेवोन्मुबत कर दिया जाता है या उसे सेवा से पद-त्याग करने की ग्रमुज्ञा दी जाती है, या मर जाता है, प्रवृत्त इन नियमों के उपवंधों द्वारा विनि-यमित किया जाएगा।

- (2) जिस दिन कोई कर्मचारी, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति होता है या सेवा-निवृत्त कर दिया जाता हैं या सेवोन्मुवत कर दिया जाता है या उसे सेवा से पद-त्याग करने की अनुज्ञा दी जाती है वह दिन काम का दिन माना जाएगा। मृत्यु की तारीख भी काम का दिन मानी जाएगी। ...
- (क) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता है, सेवा-निवृत्ति की तारीख काम का दिन नहीं मानी जाएगी।
- 5. पेंशनों की संख्या की परिसीमाएं :---(1) कोई भी कर्मचारी एक ही सेवा या पद में एक ही समय में या एक ही लगातार सेवा करके दो पेंशनें प्रजित नहीं करेगा।
- (2) बोर्ड में पुर्नानयोजित सैनिक पेंशन-शोगियों की दशा में सिवाय ऐसा सरकारी सेवक या बोर्ड का कोई कर्मचारी जो अधिवार्षिकी पेंशन या सेवानिवृत्ति पेंशन पर सेवानिवृत्त हो चुका है और जिसे तत्पश्चात् पुनः नियोजित किया जाता है, अपने पुनः नियोजिन की अविधि के लिए अलग पेंशन या उपदान का हकदार नहीं होगा।
- 6. पेंग्रन भविष्य में ग्राचरण के ग्रन्छे बने रहने के ग्रधीन होगी: (1) इन नियमों के ग्रधीन पेंग्रन की, प्रत्येक मंजूरी ग्रीर उसे जारी रखने की एक विवक्षित गर्त यह होगी कि मनिष्य में ग्रानरग प्रज्ञा

वना रहे। यदि पेंग्रनभोगी किसी गंभीर अपराध के लिए सिडदोप ठहराया गया है या किसी गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है तो पेंग्रन मंजूर करने वाला प्राधिकारी पेंग्रन या उसके किसी भाग को, निवित आदेण द्वारा, स्थायी हुए में प्रथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस गर्न के अधीन, रोक सकेगा या प्रत्याहन कर सकेगा कि पंग्रन का वह अधिभेय जो ऐसे पंग्रनभोगी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वही होगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विह्न किया जाए।

- (2) पेंशन को इस प्रकार रोकने या उसको प्रत्याहत करने का ग्रादेश करने के पूर्व पेंशनभोगी को नोटिस जारी करके समुचित ग्रयसर प्रदान किया जाएगा।
- 7. पेंकन रंगने अथदा प्रत्याहृत करने का बोई का अधिकार :—
 (1) बोई किसी पेंगन या उसके भाग को ध्यायी रुप से अथवा किसी विनिविद्य अबधि के लिए रोकने अथवा अ प्रत्याहृत करने तथा बोई को कारित किसी धन संबंधी हानि को पूर्णतः या अंगतः पेंगन में इस वसूल करने का आदेश देने का अधिकार उस दशा में अपने पास आर- कित रखता है जब विसी विभागीय या न्यापिक कार्यवाहियों में पेंगन भोगी के बारे में यह पाया जाए कि यह अपने सेवाकाल में, जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनःनियोजन करने पर की गई सेवा भी है, गंभीर अवचार या अपेक्षा का दोपी रहा है।
- (2) यदि विभागीय कार्यवाहियां उस समय, जब कोई कर्मचारी सेवा में रहा हो , चाहे उसकी सेवानिवित्त के पूर्व अथवा उसके पुन: नियोजन के दौरान संस्थित न की गई हो, तो वे बोई की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जाएंगी। ऐसी कोई भी कार्यवाही किसी ऐसी बटना की वावत जो उचन संस्थित के पूर्व चार वर्ग से अधिक पहले घटी हो, संस्थित नहीं की जाएंगी।
- (3) यदि घोई पेंशन से घोई को हुई धनीय हानि की वसूली का आदेश करना है, तो वसूली सामान्यतः किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति की तारीख पर अनुत्रेय पेंशन के एक तिहाई से अधिक की दर पर नहीं की जायेगी।
- 8 विद्यमान कर्मचारिकृष्ट को विकल्प :—(1) ऐसे कर्मचारियों को, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा में हैं, ऐसी तारीख से छह मास की अवधि के भीतर इन नियमों के ग्रधीन पेंशनिक प्रसुविधाओं का निर्वाचन करने का या तेल उद्योग विकास योर्ड कर्मचारी (ग्रभिदासी भविष्य निधि) नियम, 1978 के ग्रधीन शासित होने का विकल्प प्राप्त होगा । उन कर्मचारियों के वारे में जो उस प्रविध के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं करेंगे, यह समझा जायेगा कि उन्होंने इन नियमों के ग्रधीन पेंशनिक प्रसुविधाओं का विकल्प दिया है।
- (2) यदि कोई कर्मचारी पेंशनिक फायदों के लिये विकल्प देता है तो ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की तारीख को, श्रभिदायी भविष्य निधि में बोई के ग्रभिदायी के रूप में उसके नाम जमा रकम, उस पर ब्याज सिहत उस लेखा से पुनः तेल उद्योग विकास निधि में अन्तरित कर दी जायेगी।
- 9. जिन सेवाओं ग्रीर पदों को ये नियम लागू नहीं होते हैं, उनसे स्यानान्तरित कर्मचारी :—(1) वह कर्मचारी जिसे किसी ऐसी सेवाया पद से, जिसे ये नियम लागू नहीं होते हैं, स्थायी रूप से स्थानान्तरित किया जाता है, इन नियमों के ग्रध्यधीन हो जायेगा;

परन्तु वह भ्रपने स्थायी स्थानान्तरण के स्रादेश के जारी किये जाने की, तारीख से छह सास के भीतर, भ्रथवा यदि वह उस दिन छुट्टी पर है तो उसके छुट्टी से लौट भाने के छह सास के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस बात का निर्वाचन कर सकेगा कि यह बोर्ड में की गई सेता की बाबत तेल उद्योग विकास बोर्ड (क्ष्मुंचारी) (इः ज़िदायी भिवष्य निधि) नियम, 1978 द्वारा या ऐसी सेवानिवृत्ति प्रकुत्वियों द्वारा प्रासित किया जाये, जिनके अध्यधीन वह पूर्व नियोजन में उसके द्वारा की गई सेवा की वावत अपने स्थानान्तरण भी तारीख से ठीक पहले था।

- (2) विगत सेवा के लिए पंगनिक/सेवानिवृत्ति प्रसुविधायों समय-समय पर केन्द्रीय सरकार/बोर्ड द्वारा जारी किये गर्थ सुसंगत आदेश/ निदेशों के अनुसार विनियमित होंगी।
 - (3) एक बार किया गया विकल्प अस्तिम होगा।

ग्रध्याय--3

ग्रहंक सेवा

10 ग्रहंक सेवा का प्रारंभ :--(1) कर्मचारी की ग्रहंक सेवा उस तारीख से प्रारंभ होगी जिससे वह बोर्ड के नियनित स्थापन में उस पद का भार ग्रहण करता है जिस पर नियमित प्राधार पर नियुक्त हुग्रा है ।

- (2) बोर्ड के प्रधीन किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त केन्द्रीय/राज्य सरकार या किसी ग्रन्य पित्रक सैक्टर संगठन के किसी कर्मचारी की दशा में जिसे किसी ऐसी सेवा या पद पर, जिसे ये निव्रम लागू होते हैं, स्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दिया जाता है, सो उस सरकार/संगठन, यदि कोई है, के ग्रधीन की गई लगातार सेवा की गणना ग्रह्क सेवा के रूप में की जायेगी।
- (3) उस सेवा के दौरान जिसके लिये छुट्टी येतन संदेय है, सभी छुट्टियों, चिकित्सीय प्रमाण-पत पर दी गई सभी असाधारण छुट्टी और सिविल उपद्रव के कारण या उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखने के कारण कार्यभार संभालने या पुनः संभालने की असमर्थता के कारण दी गई सभी असाधारण छुट्टियों की गणना अर्ह्न सेवा के स्य में की जायेगी।
- 11. संविदा पर की गई सेवा की गणना :--(1) ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी विनिर्दिष्ट श्रविध के लिये बोर्ड हारा श्रारंभ में किसी संविदा पर लगाया गया हो श्रौर तत्पश्चात् किसी पेंशनी स्थापन में नियमित श्राधार पर, उसी अथवा किसी श्रन्य पद पर कर्तव्य में च्यवधान श्राये विना, नियुक्त किया गया हो या तो---
- (क) बोर्ड की अभिदायी भविष्य निधि में बोर्ड के श्रंशदान को उस पर ब्याज सहित, जिसके श्रन्तर्गत उस सेवा के लिये कोई श्रन्य फायदा भी है, लेते रहने का विकल्प कर सकता है; या
- (ख) पूर्वोक्त द्याधिक फायदों को बोर्ड को लौटा देने के लिये अथवा उन्हें छोड़ देने के लिये सहमत होने और उसके बदले में उस सेवा को, जिसके लिये आधिक फायदे संदाय हुए होते, गणना में लिये जाने का विकल्प कर सकता है।
- (2) संबंधित कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग किसी पेंशनिक पद पर नियुक्ति के श्रादेश के जारी किये जाने की सारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जायेगा।
- (3) यदि विहित अविध के भीतर कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है, तो कर्मचारी के बारे में यह समझा जावेगा कि उसने संविदा पर की गई सेवा के कारण संदेय या सदत अभिदायी भविष्य-निधि फायदों को लेते रहने का विकल्प दिया है।
- 12. निलंबन की अवधियों की गणना निलंबित। कर्मचारी ने जो अवधि अपने आचरण की जोच होने तक। व्यतीत की है उसकी गणना, जहां कि ऐसी अच्चि समाना हो जाने पर उसे पूरी तरह से विमुक्त कर दिया गया है। अयवा कोई छोटी ज़ास्ति अविनिर्णात की गई

है अथवा निलंबन को पूर्णतथा अन्यायपूर्ण ठहाराया गया है वहां, अहंक सेवा के रूप में की जायेगी । अन्य मामलों में, निलंबन की अवधि की गणना तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि तेल उद्योग विकास योई कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1988 के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी उस समय राप्ट रूप से यह घोषित न करे कि उसकी गणना की जायेगी।

13 बहाली पर भिगत सेवा की गणना:——(1) ऐसा कर्मचारी जो सेवा से पदच्युत कर दिया गया है, हटा दिया गया है अथवा अनिवार्ध हम से निवृत्त कर दिया गया है, किन्तु अपील कर पर अथवा पुनिवर्तीकन पर बहान कर दिया गया है, अपनी विगत सेवा की गणना अर्हक सेवा के हम में कराने का हकदार है।

(2) सेवा में जितनी मधावतीं खबिध का व्यवज्ञान हुआ है, उस खबिध और निलंबन की, यदि कोई हो, अविध की गणना तब तक अर्ह्न सेवा के रूप में नहीं की जायेगी जब तक उसे उस प्राधिकारी के जिसने वहाली का आदेश पारित किया था, किसी विनिर्दिष्ट आदेश हारा कर्तव्य अथवा छुट्टी के रूप में विनियमित नहीं कर दिया जाता।

ग्रध्याय--- १

उपलब्धियां और ग्रीसत उपलब्धियां

14. उपलिश्वयां :-- "उपलिश्वयां" पद से समय-समय पर यथारांशांश्रित तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति) उपदान नियम, 1983 में यथापरिभापित ऐसा बेतन अभिन्नेत जो सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व या अपनी मृत्यु की तारीख को ले रहा था या जो उमकी सेवानिवृत्ति मृत्यु की तारीख को तव मिलता जब बह उम तारीख को सेवा के समपहरण के बिना पुन: बहाली के पश्चात् कर्तव्य से छुट्टी पर न रहा होता या निलंवित किया गया होता।

15. श्रीसत उपलब्धियां :---(1) श्रीसत उपलब्धियां कर्मचारी की सेवा के श्रीतम दस मास के दौरान उसके द्वारा ली गई उपलब्धियों के प्रति निर्देश से श्रवधारित की अधेंगी।

(2) यदि कर्मचारी ध्रानी सेवा के अन्तिम वस मास के दौरान कर्तव्य से ऐसी छुट्टी पर अनुपिश्यत था जिसके लिये छुट्टी वेतन संदेय है, अथवा निलिश्वत किये जाने के पश्चात् सेवा का समयहरण हुए बिना वहाल कर दिया गया था तो वे उपलिश्यमां, जो उसे तब मिलतीं जब वह कर्तव्य से अनुपिश्यत न रहा होता या निलिश्वत न किया गया होता, औसत उपलिश्वमां अवधारित करने के लिये लेखें में ली जायेंगी।

ग्रध्याय--5

पेंशनों के वर्ग और उनके प्रदान को शासित करने वाली शत

16. अधिविषता पेंशन :---अधिविषता पेंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जायेगी जिसे अधिविषता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त किया जाता है ।

- 17. सेवानिवृत्ति पेंशन
- (क) सेवानिवृत्ति, पंशन ऐसे कर्मचारी को प्रदान की जायेगी जो स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति होता है प्रथवा विहित सूचना देकर सेवा निवृत्ति की श्रासुःसे पहुंचे ही सेवानिवृत्ता, कर दिया जाता है; या
- ्रि) जो, फालसूँ योषितं करः विषेण्णाने परः स्वेन्छा सेवानिवृत्त होने के लिये विकल्प देतार है।
- 18 प्रशनत पेंशन : ऐसे कर्मजारी को जिसे किसी सरकारी श्रम्यताल के मारसाधक विकित्सा अधिकारी बाराज मारो की सेवा के

लिये स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिया गया है, अशक्त पेंशन प्रदान की जायेगी । अशक्त पेंशन की रकम कुटुम्च पेंशन स्कीम के अधीन अनुजेय कुटुम्ब पेंशन की रकम से कम नहीं होगी।

19. प्रतिकर पेंशन:—ऐसे किसी कर्मचारो को जो ग्रपने पद के उत्पादन के कारण सेवा से तब उन्मोचित किया जाता है जब समान रैंक की समुचित नियुक्ति उसे नहीं दिलाई जा सकती, प्रतिकर पेंशन दी जाती हुई।

20 स्त्रिनिवार्ष सेवानिवृत्ति पंशन:—णास्ति के हप में सेवा से अनिवार्ष हप से निवृत्त किये गये कर्मचारी को, गक्षम प्राधिकारी द्वारा, पंणन या उपदान या दोनों ही की, ऐसी दर पर जो उसे उसकी अनिवार्ष नेवानिवृत्ति की नारी व को अनुजेय हो, दो निहाई सं अन्ध्रम किन्तु ऐसी पूरी प्रतिकर पंणन या उपदान अथवा दोनों से अनिध्रम हो, संजूरी दी जा सकेगी। तथापि मंजूर की गई पंशन की रक्षम तीन सो पचहुतर रुपये प्रति मास से कम नहीं होगी।

21: अनुकम्पा भत्ता:---ऐसे कर्मचारी की जिसे सेवा से पदच्युः। किया गथा है या हटाया गया है, पेंशन और उपदान समगहत हो जायेगा।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, यदि वह गामला ऐसा हो कि उस पर विशेष विचार किया जासकता हो तो, ऐसी पेंशन या उपदान या दोनों का दो तिहाई से अनिधिक ऐसा अनुकम्पा भत्ता मंत्रूर कर सकेषा जो उसे उम समय अनुज्ञेय होता जब वह अनुकम्पा पेंशन पर सेवा नियुक्त हुआ होता:

परस्तु यह और कि यह मत्ता तीन सी पचहत्तर रूपए प्रतिमान की न्यूत्तम पेंशन से कम नहीं होगा।

ग्रध्याय--6

22. पेंशनों की रक्षमों का विनियमन:—ऐसा कर्मचारी जो दस वर्ष की अधिक सेवा पूरी कर लेने से पहले सेवा से निवृत्त हो जाता है, पेंशन के संदाय का पाल नहीं होगा। वह सेवा के प्रत्येक पूरे किये गये छह भास (आधा वर्ष) के लिये आधी मास की परिलब्धियों की समान दर पर संगणित "सेवा उपदान" के रूप में पदाविहित एक मुश्त रक्षम का हकदार होगा।

23. पेंशन की रकम:—िकसी रोवानिवृत्त कर्मचारी को अनुज्ञात पेंशन और महंगाई राहत की रकम और किसी मृतक कर्मचारी के या किसी मृतक पेंशनभोगी के कुटुम्ब को अनुज्ञात कुटुम्ब पेंशन या महंगाई राहत वही होगी जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्म-चारियों के लिये विहित की जाये।

24. पेंशन की संगणना:——(1) पेंशन सभी मामलों में "श्रौसत परिलब्धियों" के पनास प्रतिशत पर संगणित की जायेगी श्रौर संराशी-करण से पहले मासिक पेंशन की उतनी न्यूनतम और अधिकतम रकम के स्रधीन रहते रूए होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रपने कर्मचारियों के लिये विहित की जाये।

- (2) उपरोक्त उपनियम (1) के अनुसार निकाली गई पेंशन की रकम 33 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा से संवंधित होगी। ऐसे कर्मचारियों के लिये जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या उससे अधिक किन्तु 33 वर्ष से कम की अर्हक सेवा की है, उनकी पेंशन की रकम अधिकतम अनुज्ञेय पेंशन का उतना अनुपात होगी जितना कि उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा का 33 वर्ष की अधिकतम अर्हक सेवा का अनुपात है।
- (3) इन नियमों के अधीन अन्तिम रूप से अवधारित पेंशन की रकम रूर-पूरे रुपयों में अभिव्यक्त की जायेगी और जहां पेंशन एक इपए का कोई भाग होगी, वहां उसे पूरा करके अगले रुपये तक कर दिया जायेगा।
 - 25. सेवानिवृत्ति:—(1) बोर्ड की सेवा से कर्मचारी की सेवा निवृत्ति तेल उद्योग विकास कर्मचारी (सेवा की साधारण शर्ते) नियम

1984 के नियम 16 में म्रन्तर्विष्ट उपवन्धों के म्रनुसार विनियमित होगी।

(2) यदि कोई कर्मचारी तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की साधारण भर्तें) नियम, 1984 के नियम 16 के उपनियम (4) के प्रधीन स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के लिये विकल्प देता है तो उसकी पेंगन इन नियमों में यथापरिभाषित परिलब्धियों पर ग्राधारित होगी ग्रीर अर्हक सेवा में पांच वर्ष से ग्रनधिक वृद्धि उसे पेंगन ग्रीर उपदान की संगणना करने के प्रयोजनों के लिये वेतन के सैद्धांतिक नियतीकरण के लिये हकदार नहीं बनायेगी।

26. मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान :—उस पेंशन के प्रतिरियत जो इन नियमों के श्रधीन उपलब्ध हो, कर्मचारी समय-समय पर यथा संगोधित तेल उथोग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति) उपदान नियम, 1983 में अर्तावष्ट उपवन्धों के अनुसार मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के हक्तदार होंगे।

- 27. कुटुम्व पेंशन :--- जहां किसी कर्मचारी की---
- (क) एक वर्ष की लगातार सेत्रा पूरी करने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है; या
- (ख) एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने से पहले मृत्यु हो जाती है परन्तु यह तब जबिक सम्बद्ध मृतक कर्मचारी की सेवा या पद पर उसका नियुक्ति के ठीक पूर्व किसी सरकारी ग्रस्पताल के भारसाधक चिकित्सा ग्रधिकारी द्वारा परीक्षा की गई थी ग्रीर उत्ते उस ग्रधिकारी द्वारा वोर्ड में सेवा के लिये उपयुक्त घोषित किया गया था; या
- (ग) सेवा से निवृत्त हो जाने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है ग्रीर वह ग्रपनी मृत्यु की तारीख को पेंशन पा रहा था,

तो मृतक कर्मचारी का कुटुम्ब ऐसी दरों पर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रपने कर्मचारियों के लिए विहित की जाए, कुटुम्ब पेंगन पाने का हकदार होगा।

28. कुटुम्ब पेंशन किसको संदेय :--(1) कुटुम्ब पेंशन मृतक कर्मचारी के कुटुम्ब को संदेय होगी। किसी कर्मैचारी के संबंध में "कुटुम्ब" से निम्नलिखित ग्रभिप्रेत है---

- (क) पुरुप कर्मचारी की दशा में पत्नी;
- (ख) महिला कर्मच।री की दशा में पति;
- (ग) पुत्र जिन्होंने 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है;
- (घ) ग्रविवाहित पुतियां, जिन्होंने 25 वर्ष की ग्रायु प्राप्त नहीं की है;
- (2) 25 वर्ष से फम आयु के पुत्नों और अविवाहित पुत्रियों के अन्तर्गत ऐसे पुत्न और पुतियां भी होंगी जिन्हें सेवानिवृत्ति के पूर्व वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया है।
- (3) पत्नी या पति के अन्तर्गत कमशः न्यायिकतः पृथककृत पत्नी या पति भी है।
- (4) यदि मृतक कर्मचारी (पेंशनभोगी) श्रपने पीछे एक से प्रधिक विधवा छोड़ जाता है तो दूसरी पत्नी वैद्य रूप से विवाहित पत्नी के रूप में फुटुम्ब पेंशन पाने की हकदार नहीं होगी।
- 29. (1) कुटुम्ब पेंगन एक समय पर कुटुम्ब के केवल एक सदस्य को संदेय होगी।
- (2) यह प्रथमतः विधवा/विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें जो भी पहले हो, संदेय होगी।
- (3) तत्पश्चात् यह पूर्विकतात्रम में पाल वालको को संदेय होगी। भविवाहित पुती की पालता केवल तब प्रारंभ होगी जब पुत्रों की पालता समाप्त हो। जाती है। कार अर्थ उन्हरू
- समाप्त हा जाता ए 30. हुदुम्य पेशन का उच्चतर मापमान :—(1) जहाँ जब किसी कमचारी की साठ वर्ष से मन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात



सेट्स में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, वहां मृतक कर्मचारी के कुटुम्य को
र्स कुटुभ्त्र पेंशन कर्मचारी द्वारा श्रंत में लिए गए वेतन के पचास प्रतिशत
के कराबर, ग्रंथवा समाान्य दरों पर श्रृतुत्रेय कुटुम्य पेंशन के दुगने के
वरावर, इनमें से जो भी कम हो, होगी ।

- (2) कुटुम्ब पेंजन की यह उच्चतर दर, कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अथवा मृतक कर्मचारी, यदि वह जीवित रहता तो, जिस तारीख को पैमठ वर्ष की आयु का हो जाता, उस ठारीख तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अवधि लघुतर हो, सदेय होगी।
- (3) संवानिवृत्ति के पण्यान् कर्मचारी की पृत्यु होने की दण में पूर्वोक्षत यथा-अवधारित पेशन की उच्चतर दर, सेवा से निवृत्त हो जाने पर ऐसे कर्मचारी को प्राधिकृत पेशन की रक्तम तक और निर्विधित होगी और मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अववा मृतक कर्मचारी, यदि वह जीवित रहता तो, जिस क्षारीख को पैसट वर्ष की आयु का हो जाता, उस तारीख तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी अवधि लयुत्तर हो, सदेय होगी।
- (4) श्रविवाहित पुती उस तारीख से जिसको वह विवाह कर लेती है, क्टुम्ब पेंशन के लिए आपात हो जाएगी ।
- (5) किसी पुत्र या पुत्ती को संदेय कुटुम्ब पेंगन बंद कर दी जाएगी यदि वह (पुत्र) या वह (पुत्री) अपनी आजीविका को उपार्जन करना प्रारंभ कर देता है/कर देती है या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है/कर लेती है, इनमें से जो भी पहले हो।
- 31. दिकलांग पुत्र (त्रां), पुत्री (यों) को विवाह आयु सीमा से परे तक कुटुम्ब पेंशन की अनुक्रेयता :—-यदि किसी कर्मचारी का पुत्र या स्विवाहित पुत्री किसी मानिशक विकार या निःशक्तता से प्रस्त है अथवा भारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त है जिससे कि वह पच्चीस वर्ष की आयु का हो जाने पर भी आजीविका उपार्जन करने में असमर्थ है तो ऐसे पुत्र या पुत्री को आजीवन कुटुम्ब पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदेय होगी, अर्थात् :—-
 - (i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या उससे अधिक वालकों में से एक है तो कुटुम्ब पेंगन प्रारंभतः नियम 30 में अधिक्षित कम से अवयस्क वालक की तब तक संदेय होगी जब तक अन्तिम अवयस्क वालक, पञ्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, और तदुपरांत सुटुम्ब पेंगन उस पुत्र या पुत्री के पक्ष में, जो मानसिक विकार या निःशक्तता से अस्त है अथवा शारीरिक रूप से अपग या निःशक्त है, पुनः आरंभ कर दी जाएगी और उसे आजीवन संदेय होगी;
 - (ii) यदि ऐसे एक से अधिक पुत्र या पुत्री है जो मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रस्त है अथवा शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं तो कुटुम्ब पेंशन निम्न कम से संदत्त की जाएगी:-
 - (क) पहले तो पुत्न को, भीर यदि एक से श्रधिक ऐसे पुत्न हैं तो उनमें से लघुतर पुत्न बड़े के जीवन-काल के पश्चात् कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करेगा;
 - (ख) दूसरे कम पर पुत्री को, और यदि एक से अधिक पुत्रियां हैं तो उनमें से लघुतर पुत्री बड़ी पुत्री के जीवन-काल के पश्चात् कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करेगी;
 - (iii) ऐसे पुत्र या पुत्री को कुटुम्ब पेंशन संरक्षक की मार्फत-संवत्त की जाएगी मानो वह पुत्र या पुत्री श्रव्यस्क हो।
 - (iv) विहित मायु सीमा से परे निःशनत बालकों को कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के प्रधीन है :--
 - (क) निःशनतता कर्मचारी के सेवा में रहते हुए, उसकी सेवा-निवृत्ति या मृत्यु के पूर्व प्रकट हो गई हो;

- (ख) पुत्री, उस तारीख से पात्र नहीं रहेगा जिस तारीख को उसका विवाह हो जाता है ।
- (ग) ऐसे निःशक्त पुत्न या पुत्नी को कुटुम्ब पेंशन बंद कर दी जाएगी जो अपनी आजीबिका का उपार्जन प्रारभ कर देता है/कर देती है ।

ग्रध्याय ७

32. पेंछन के प्राधिकरण के लिए प्रत्रिया :--(1) अधिविधिता पेंछन और सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपरान के संदाय में विलंब को दूर करने की वृष्टि से पेंछन भामलों के तैयार करने के लिए एक समयवद्ध अनुसूची का यह मुनिध्चित करने के लिए पालन किया जाएगा कि सभी मामलों में अधिवाधिता पेंछन का संदाय उस मास के जिसमें वह देय हैं, प्रथम दिन को प्रारंभ कर दिया जाता है।

- (2) उस तारीख के जिसको कंमेंचारी यधियणिता की यायु प्राप्त करेगा या उसकी प्रत्याणित सेवानिवृत्ति की तारीख के एक वर्ग पूर्व सक्षम प्राधिकारी पेंशन कागजों को जिसके अंतर्गत रोवा का सत्यापित किया जाता और प्रकृप 3 में अपेक्षित विशिष्टियों का पूरा किया जाना भी है, तैयार करना मुनिश्चित करेगा । कुटुम्ब का विवरण प्रकृप 1 में ग्रभिप्राप्त किया जाएगा ।
- (3) एक वर्ष के तैयारी कार्य की स्रवधि को निम्नलिखित तीन उप-क्रमों में विधाजित किया जाएगा :
 - (i) पहला प्रक्रम :—सेवानिवृत्ति होने वाल कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की यह मुनिश्चित करने के लिए जांच की जाएगी कि सेवा के सत्यापन का प्रमाणपत्न सेवा की पूर्ण प्रवधि के लिए ग्रामितिवात किया गया है ग्रीर सेवा के सत्यापित भाग को वेतन पूंजी, निस्तारण पूंजी ग्रीर अत्य सुसंगत ग्रीमिलेख के प्रतिनिर्देश से या कर्मचारी हारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के ग्राघर पर सत्यापित कराया जाता है।
 - (ii) दूसरा प्रक्रम:—सेवानिवृत्त होने वाले कर्मवारी की सेवा पुस्तिका में सेवा के सत्यापन के प्रमाणपत्नों की संवीक्षा करते समय ऐसे अन्य जोपों, अपूर्णताओं या किमयों का भी पता लगाया जाएगा और उनकी पूर्ति की जाएगी जिनका परिलब्धियों के अवधारण और पेंगन के लिए अर्हक सेवा से सीघा संबंध है। अ्रीसत परिलब्धियों के लिए सेवा के अन्तिम दस मासों के दौरान कर्मवारी द्वारा ली गई या जी जाने वाली परिलब्धियों की शुद्धता पर विचार किया जाएगा, कितु वास्तिवक सत्थापन कर्मवारी की सेवानिवृत्त की तारीख के पूर्ववर्ती 24 मास की अवधि तक की परिलब्धियों के लिए किया जाएगा।
 - (iii) तीसरा प्रकम :--सम्यक् रूप से पूर्ण प्ररूप 2 से<u>वानिवृत्ति की</u> तारीख के तीन मास पूर्व सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी से_। अभिप्राप्त किया जाएगा ।
- 33. (1) श्रहंक सेवा और श्रौसत परिलव्धियां तथा श्रनुत्रेय पेंश्वन श्रौर उपदान श्रवधारित करने की प्रक्रिया कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख के तीन मास पूर्व बोर्ड के सचिवालय में पूरी कर ली जाएगी।
- (2) पेंशन संगणना पंजी की एक प्रति सेवानिवृत्त होने वाले कर्म-चारी को दी जाएगी ।
- 34. (1) पेंशन कागजपत्नों की समाधानप्रद संवीक्षा के पण्चात् सक्षम प्राधिकारी पेंशन के संदाय के लिए प्रावश्यक मंजूरी प्रदान करेगा।
- (2) वैध और पर्याप्त कारणों को छोड़कर लेखा अधिकारी सेवा-निवृत्ति की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्रावश्यक पेशन संदाय आदेश जारी करेगा ।
- 35. मंजूरी के परचात पेंशन का पुनर्विलोकन :--(1) इन नियमों के नियम 7 के उपबंधों के सधीन रहते हुए, श्रन्तिम निर्धारण के परचात्-

एक वार्रे मंजूर की गई पेंशन कर्मचारी के अहितकर रूप में पुनरीक्षित नहीं की जाएगी किनु ऐसा पुनरीक्षण बाद में पता चलने वाली किसी विभिन्नीय भूल के कारण आवश्यक होंगे पर किया जा सकता है।

परंतु पेंसन की कोई भी पुनरीक्षण पेंसनमोगी के ग्रहितकर हम में बोर्ड की सहमित के बिना नहीं किया जाएगा यदि लिपिकीय भूल का पता पेंसन प्राधिकृत किए जाने की तारीख से दो वर्ष की ग्रविध के बाद चलता है।

- (२) उपनियम (।) के प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक सूचना की सामील की जाएगी जिसमें उससे सूचना की प्राप्ति की तारीख से दो मास की प्रविध के भीतर पेंशन के ग्रक्षिक संदाय का प्रतिदाय करने की ग्रमेक्षा की जाएगी।
- (3) सूचना का अनुपालन करने में उसके असफल रहने पर अधिक संदाय का समायोजन भविष्य में पेंशन के कम संदाय द्वारा एक या अधिक किन्हों में जैसा वितिश्चय किया जाए, किया जाएगा ।
- 36. जब किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तब कुटुन्बें भेंगन का अवदारण और प्राधिकरण :--(1) सेवा में रहते हुए किसी किमंबारी की मृत्यु के बारे में सूबना की प्राप्ति पर प्रहप 5 में विधया या विश्रुत से कुटुन्ब पेंशन का दावा प्राप्त करने के लिए तुरंस कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी ।
- (2) यदि मृतक कर्मचारी का केवल एक या ग्रधिक ग्रवपस्क बालक उत्तर-जीवी हैं तो वालक/वालकों का संरथक दावा कर सकता है।
- (3) संरक्षक से यह अनेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे बालक की अगर से विदि उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ती है तो, उक्त प्रकृत में कीई दावा प्रस्तुन करे और ऐसा बालक स्वयं उक्त प्रकृत में दावा प्रस्तुत कर सकता है।
- 37. प्रहर 6 का पूरा किया जाना :--(1) सेवा के मत्प्रापन ग्रीर प्रहर 6 के पूरा किए जाने से संबंधित कार्य विहिन प्रक्रिया के ग्रनुसार नुरंत किया जाएगा।
- (2) कुटुम्ब पेंशन के लिए परिलिध्यों के अवतारण के प्रयोजन के लिए परिलिध्यों की शुद्धता का सरमापन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष पूर्व की अधिकतम अविध सीमित रहेगा।
- (3) मृत्यु की तारीख को ग्रसाधारण छुट्टी पर होने वाले कर्मचारी की दशा में, परिलब्जियों की खुडता का सत्यापन ग्रसाधारण छुट्टी के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व की ग्रयधि तक सीमित रहेगा ।
- (4) अर्हक सेवा और अर्डक परिलब्धियों के अवधारण भी प्रक्रिया कर्मचारी मृत्यु की तारीख के बारे में प्रतापना की प्राप्ति से एक मास के भीतर पूरी कर ली जाएगी और कुटुस्व वेंशन की रकम की तदनुसार संगणना की जाएगी।
- 38. मृतक पेंग्रनमोगियों की बाबत कुटुम्ब पेंशन की भंजूरी :--(1) पेंशनभोगी की मृत्यु के बारे में प्रज्ञावन, की प्रास्ति पर यह ग्रोभिनिश्चित किया जाएमा कि क्या कोई कुटुम्ब पेंग्रन मृतक पेंग्रनमोगी की बाबत संदेय है।
- (2) यदि मृतक पेंग्रनभोगी को फोई विधया/विश्रुर उतर-जीवी रहता है तो पेंग्रन संदाय आदेश में थया उपदिंशत कुरुष्य पेंग्रन की रकम पेंग्रन-भोगी की मृत्यु की तारीख से ठीक अगले दिन से विधवा/विधुर को संदेय हो जाएगी !
- (3) संदाय संबंधित विद्यवा/विद्युरः से पृत्युः प्रमाणवतः द्वारा सम्प्रक् रूपः से सम्प्रितः आवेदनः कीः प्राप्तिः परः प्रारंभ होः जाएगाः ।
- (4) यदि मृतक पंशनभोगी का कोई बालक उत्तरकानी रहता है/ रहते हैं, तो होसे पालक/बालकी का संरक्षण प्ररूपः 5 में वांना प्रस्तुत कर सकेगी।

- (5) यदि पुत्र/म्रविवाहित पुत्री, श्रठारह वर्ष की म्रायु प्राप्त कर ली है तो वह स्वयं प्ररूप 5 में दावा प्रस्तुत कर सकेगा/कर सकेगी।
- (6) दाना प्रास्ति होने पर कुटुम्ब पेंगन, प्ररूप ७ में मंजूर की जाएगी श्रीर पेंगन संदाब खारेश जारी किया जाएगा ।
- (7) यदि कोई विधवा या विद्युर जिसे मुदुन्त्र पेंशन मिल रही है, पुनः विवाह कर लेती है/कर लेता है और उसके पुनः विवाह के समय उसके पूर्व पति/परनी से कोई बालक है या हैं तो ऐसा विवाहित व्यक्ति ऐसे बालक या वालकों की ग्रोर से प्रुटुन्त्र पेंशन लेने के लिए पान्न होगा, यदि वह व्यक्ति ऐसे बालक या श्रातकों का ग्रंटक वना रहे।
- (8) र्याप किसी कारणवश पुनविवाहित व्यक्ति ऐसे वालक या बालकों का संरक्षक नहीं उह जाता है तो कुटुम्ब पेंशन उन व्यक्ति को संदेव होगी जो तत्तमय प्रवृत्त विश्वि के अश्रोन ऐसे बालक या बालकों के संरक्षक के रूप में कार्य करने का हम्बार है और ऐसा व्यक्ति कुटुम्ब पेंजन के संदाय के लिए प्ररूप 5 में एक दावा प्रस्तुत कर सकेगा।
- (9) मंरक्षक से यह क्रोक्षा नहीं की जाएगी कि वह पुत्र या अविवाहित पुत्ती की ओर से, यदि उसने अक्षेप्रह वर्क की आगु पूरी कर ली है, तो कोई दावा प्रस्तुत करे और ऐसा व्यक्ति। उस प्रका में स्वयं दावा प्रस्तुत कर सकता है।
- (10) उपखंड 8 स्रोर उपखंड 9 में निर्देश्ट दावा प्राप्त होने पर युदुम्व पेंशन प्रस्प 8 में मंजूर की जाएगी।

ग्रध्याय ४

- 39. पेंशन का संदाय :--(1) कुटुम्ब पेंशन से भिन्न पेंशन उस तारीख से मंदेय हो जाएगी जिस तारीख को कर्मवारी स्थान में नहीं रह जाता है ।
- (2) पेंशन जिसके अन्तर्गत कुटुम्ब पेंशन भी हैं, उस दिन के लिए संदेय होगी जिस दिन उसके पाने वाले की मृत्यु हो जाती है।
 - 40 सभी पेंशनें भारत में छवते में संदेव होती।
- 41. पेंशन मासिक दरों पर नियत की जाएनी और अगते मात के प्रथम दिन की या उसके पश्यात् प्रतिमास संदेव होनी।
- 42 एक वर्ष से अधिक के लिए न निकालो गई शेप पेंशन का संवाय सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोरत के बिना नहीं किया जाएगा।
- 43 (1) ऐसे सभी कुटुम्ब पेंशन पाने वालों से जिन्ही पेंशन उनके विवाह या पुनः विदाह पर समान्त को जा सकती है, विहित प्ररूप में एक घोषणा प्रति छमाही ऋभित्रान्त को जाएगी ।
- (2) कुदुस्व पेंशन पाने वाली किसी विधवा की वधा में, उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा केवल प्रथम श्रवसर पर श्रीभंत्राप्त की जाएगी यदि वह श्रपना विवाह होने की दशा में सुरंत श्रीधकारी को रिपोर्ट करती है।
- 44. पेंशनभोगी की पहनाक पेंशन संदाय मादेश में दर्ज उसके निजी
 पहनान चिह्नों श्रीर रसीद पर हस्ताक्षरों को मूल संदाय श्रादेश पर किए
 गए नमूना हस्ताक्षरों से तुलना करके की जाएगी। यदि कोई पेंशनभोगी
 श्रपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो रसीद पर उसके श्रंगूठा छाप
 की तुलना संवितरण श्राधिकारी के श्रादे पेंशन संदाय श्रादेश पर पहले ही
 लिए गए मूल छान से की जाएगी। पेंशनमोगी की पहचान इसमें श्रीर
 संवितरणक श्राधिकारी के श्रादे पेंशन संदाय श्रादेश पर लगाए
 गए उसके कोटो के बीच-समानका से भी की-आएगी।
- 45. (1) पेंगिनियका संदर्भ पेंगिनियोगिकिका विवालकारी एक व्यय पर हाना मनीमार्डर द्वारा किंगा जाएगा वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग



46. पेंशन का संवाय वोई के कार्यालय में किया जाएगा।

नामनिर्देशन :-समय-समय पर यथा संशोधित तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (मृत्यु-सवा-सेवानिवृत्ति) उत्तदान नियम, 1983 के ब्रधीन कर्मचारी हारा दिए गए नामनिर्देशन पेंगन की वकागा के मंदाय के विष्णु पर्याप्त होंगे :

गरन्तु ऐसे किसी कर्मचारी ने जो सेवानिवृत्त होने वाला है, सेवा-नियृत्ति की तारीख़ के पूर्व या उसके पश्चात् तीन मास के भीतर तीन प्रतियों में विहित शहप में फोई नामनिर्देशन प्रस्तुन किया है जिसमें किसी प्रस्य व्यक्ति को उसकी मृत्यु के पश्चात्, पंशान के मद्दे या नामनिर्देशन की तारीख़ के पूर्व या पश्चात् उसे देय सभी धन जो उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व प्रसंदत्त रहता है, शास्त करने का ग्राधिकार किसी ग्रन्य व्यक्ति को प्रदत्त किया गया है तो पंशान की बकाया इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति की संदत्त की जाएगी।

श्रह्याय 9

पंशन की संगणना

48. कर्मचारी अपनी पेंगन के एक तिहाई से अनिधक भाग के एक एक सिदाय के लिए संराधित कराने का हकदार होगा। यदि संराधित की जान वाली पेंगन का भाग भपए का प्रभाग हो जाता है तो स्वए के ऐसे प्रभाग के संराधीकरण के प्रयोजन के लिए जिसे की जाएगी। सवाधि, ऐसा कोई कर्मचारी जिसके विष्ट उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व कोई विभागीय या व्याधिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं या कोई पंथनभीगी जिसके विष्ट उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्वात् ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं या कोई पंथनभीगी जिसके विष्ट उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्वात् ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं, ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान अपनी पेंगन/ग्रनन्तिम पेंगन के किसी प्रभाग को संराधित कराने का पात होगा।

- 49. कर्मचारी चिकत्सीय परीक्षा के बिना पेंगन की संराणित करने का पात होगा।
- 50. संराधीकरण के लिए ग्रावेदन सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् बोर्ड के कार्यालय में किया जाएगा। तथापि, यदि सेवानिवृत्ति ग्राधिविता पर हुई है, तो ग्रावेदन ग्रधिविता की तारीखे के पूर्व प्रस्तुत किया जा सकता है।
- 51. आवेदक संराधीकरण के लिए अपने आवेदन के साथ विहित प्ररूप में एक नामनिर्देशन करेगा जिसमें उस तारीख को या उसके पूर्व तारीख़ को संराधीकरण आत्यंतिक हो जाता है, संराधित मूल्य प्राप्त किए बिना उसकी मृत्यु की देशा में पेंशन का संराधित मूल्य प्राप्त करने का अधिकार एक या अधिक व्यनितयों को प्रदत्त करेगा।
- 52. पेंग्रन का संराणीकरण उस तारीख को ग्रात्यंतिक होगा जिस तारीख को विहित प्रलग में ग्रावदन वोर्ड के कार्यालय में प्राप्त किया जाता है ग्रीर पेंग्रनमोगी को ग्रपना ग्रावेदन वापस लेने का कोई विकल्प नहीं होगा।

परन्तु ऐसी दशा में जहां ग्रिधिवर्षिता की ग्रामु पर सेवानिवृत्ति होने वाला कोई कर्मचारी ग्रिधिवर्षिता की तारीख के पूर्व पेंशन के संराशीकरण के लिए ग्रावेदन प्रस्तुत करता है जहां संराशीकरण सेवानिवृत्ति की तारीख़ के ठीक ग्राम्वी तारीख़ को ग्रास्यंकि होगा :

परन्तु यह और कि वार्ड को पेंगन के संरागित मूल्य का संदाय करने का कोई दाबित्त नहीं होगा यदि कर्मनारी की अधिर्यावता की तारीख के पूर्व मृत्यु हो जाती है या वह ऐसी सेनानिवृत्ति के पूर्व पेंगन का दाना समपहत कर देता है।

53. सगय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मवारियुन्द के लिए विहित और उस तारीख को जिस तारीख की संराधीकरण आर्त्यतिक हो जाता है, आवेदक को लागू मूर्ट्यों की सारगी के अनुसार अन्तिम का सै संगणित पेंशन के संराशित मूल्य की रकम प्रगले उच्चतर स्पए तक पुणान्कित की जाएगी।

- 5 के आवेदक जिसने अगनी अन्तिम पेंगन के ग्रमाग को मंशाधित कराय है और मंशामीकरण के प्रधात जमभी पेंगन खूतलशी हुए से पुनरीक्षित की मंदी है बीर बढ़ाई गई है तो अवेदक को बढ़ाई गई पेंगन और पहले ही आधिकृत किए गए संस्थित मूल्य के प्रतिनिर्देश से अबधारित संस्थित मूल्य के बीच अन्तर का संवाय किया आएंगा।
- 55 (1) यदि किसी पेंशनमंत्री की उस तारीख को या उसके प्रवृत् जिसको पेंशन यात्यंतिक होती है, संराधित मूल्य प्राप्त किए बिना मृत्यु ही जाती है, तो संराधित मूल्य का संदाय उसके नामनिर्देशिती (यों) की किया जाएगा ।
- (2) यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है, या यदि किया गया नामनिर्देशन विद्यमान नहीं है तो संराधित मूल्य का संदाय तेल ज्योग विकास योड कमंबारी (मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति) उपदान नियम, 1983 में उपदिशात रीति में कुटुम्ब, को किया जाएगा।
- (3) यदि किसी दशा में संराधित मूल्य का उपनियम (1) श्रीर (2) में रीति में संदाय नहीं किया जा सकेता तो उसका संदाय उसकें वारिसों को किया जाएगा ।
- 56. वह तारीख जितको पेंशन के संराधित मूल्य का संदाय ग्रावदक को किया गया था, पेंशन संदाय ग्रादेश के दोनों भागों में दर्ज की जाएगी।
- 57. पेंशनगीमियों को अनुजीय राहत पेंशन के संराणीकरण के पत्रवातः भी पेंशन की मूल रकम के अधार पर संगणित की जाएगी ।
- 58 पेंशन का संराशित प्रभाग सेवानिवृत्ति की तारीख से पन्द्रह वर्ष के पश्चात् प्रत्यार्वीतत कर निया जाएगा ।

श्रध्याय 10

प्रकीर्ण

59. जिन कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, उन कर्मचारियों के कुटुम्बों को अधिम का संदाय :--(1) ऐसे सभी नियमित कर्मचारियों के कुटुम्ब जिनकी (वेतन महित या जसके बिना कर्तव्य पर या छुड़ी पर रहते हुए) सेवा में मृत्यु हो जाती है, ऐसे अधिम के रूप में जो मृतक के 3 मास के बैतन या 3,000 स्पए तक, इनमें से जो भी कम होगा, तक सीमित होगा, राहत के लिए पात होंगे।

- (2) ग्रिशम ग्रावेदन पर भीर ग्रावेशित वचनवद्ध पर योर्ड के लेखा-धिकारी या सक्षम गाधिकारी द्वारा मुंजूर किया जाएगा।
- (3) ग्रीमिन जब मंजूर कर दिया जाता है तो वह देय वेतन की वक्तामा, मृत्यु उपदान, भविष्यनिधि संवयन या मंजूरी की तारीख से छह मास की ग्रंबधि के भीतर मृतक को देय किसी ग्रन्य संदाय के महे समायोजित किया जाएगा।
- 60 निर्वचन :--जहां इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई शका जल्पन्न होती है वहां उसे स्पष्टीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्देशित कर दिया जाएगा।
- 61. सिथिल करने की शक्ति :— जहां बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में छे किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलें में कोई असम्यक् कष्ट कारित होगा, वहां तोर्ड अगने विवेकानुसार, उस नियम की अभिशाओं की उस सीमा तक और ऐसे अपनाकों तथा अनी के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह न्यायसंगत और सम्यक् रीति से किमी मामले के संबंध में कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे, समाप्त कर सकता है अथवा उन्हें शियिल कर सकता है।

62 व्यावृत्ति :--(1) इन नियमों के प्रारंभ्य पर, तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मनारी (सेवा की साधारण धर्ते) निवस, 1984 का नियम 23 इस सीभा तक जिस तक वह इन निवमों में खन्नविष्ट किन्हीं माण्यों का उपवंध करना है, उपांतरित किया समझा जाएमा । (3) ऐसा कोई मामला जो इन निवमों के अन्तर्गत नहीं पाता है, लागू और समुचित सीमा तक समय-समय पर यथा संशोधित (केन्द्रीय विविच सेना) पॅथन निवम, 1973 में अन्तर्याट सुनंगत उपदंशों के अनुसार विविचमित होगा।

प्रहम 1

			[नियम 32 (2) देखिए] कुटुम्ब के ब्यीरे		, y.	
कर्मचा	री की नीम				,	
पदनाम	[a) 1
	गारीख————— त की तारीख—————					
मेरे कु	दुच्य के सदस्यों के ध्यौरे ह वें—————		-			·
ऋम स .	कुटुम्त्र के सदस्यों के नाम	जन्म तारीख	कर्मत्रारी के साथ नातेदारी	सचिव के हस्ताक्षर	टिप्यणी	A 1131
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.						n na saidh
2.						ñi. Cast
3.			,			គំណៈវិ សំគ
4.	<i>?</i> * •		•			1 1
5. 6.						
7.				,		
8.						- V e
9.	·		·			मा दिवस्ति ।
	में सनिव को कोई भी परिवर्धन	या परिवर्तन ग्रधि	मूचित करके उपर्युक्त विशिष्टियों के	। ग्रद्यतन रखने का भी वचन	देता हूं ।	
	स्थान					
	नारीख				र्वचारी के हस्ताक्षर	
		·	ने व्यवस्था वह कारी और वृद्धि भी			্ মান্ত ক্ষিট্ ন
	टिप्पणी :पत्नी और पति के अन्त	गतं क्रमशः न्यायकः	हम स पृथक हुए पत्ना आर पात मा	ر آ 1		ंडेसइ ः
			प्रहप 2			•
			[नियम 32(3)(iii) देखिए			
		सेवानिवृत्त ह से ग्राठ	ोने वाले कर्मचारी से उसकी सेवानि मास पूर्व श्रभिश्राप्त की जाने वाली ि	वृत्ति की तारीख विगिष्टियाँ		.0
	and .					(新) (1)
1.	नाम					
2.	(क) जन्म तारीख (ख) सेवानिवृत्ति की तारीख					
3. श्रन्प्रम	हस्ताक्षर के हो नमूने (जो एक इ तिज्ञत हों।					स्थापकः वयः भित्रे हैं। स्थापकः स्थापकः
4.	पत्नी वा पति के साथ संयुक्त फोव	ो की पासपोर्ट ग्राव	गर की तीन प्रतियां (जो लेखा व	रधिकारी द्वारा ग्रनुप्रमाणित ।	की जाएं)।	A Section 1
5.	क्षे पचिष्रां जिनमें ऊंचाई स्रीर पह गणित किए गए हैं।	चान चिन्ह के विक	रण हैं, जो किसी राजपत्नित सर	कारी सेवक या बोर्ड के कि	भी ग्रधिकारी द्वारा स	म्यक् संप से ः
พรูม						<u> </u>
,	दो पींचयां जिनमें से प्रत्यक पर	किसी ऐसे व्यक्ति	द्वारा दो ग्रपने हस्ताक्षर करने यो	न्य साक्षरं महीं हैं, उसके	वायें हाथ के ग्रंगूठे ग्रौर	ग्रगुलियों की
1. छापें.	्र के बच्चावर्गात की व	ਜਵੰਡੇਂ ਨੀ ਗਰਸੀ।	। यदि ऐसा कर्मचारी भागेरिक है	नःभक्तता के कारण बाय हा	थ क् अर्गुट आर प्रगा	लयाका छाप
22 2	जन्म की जो बट टायें हाथ के ग्रे	ाउँ ग्रीर धगलियाँ व	ने छाप दे सकता है। जहां कम	वास कदाना हाथ नहा	वहा यह अपन पाय का	संगुलियों की
	असमय है। छापों को किसी राजपी	वेत सरकारी सेवक	या बोडे के किसी प्रधिकारी क्षरा	सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित	ाकया जाना चाहिए।	

भाग	II~-चग्ड	3(i)]
-----	----------	-------

17. उपदान के लिए संगणित की जाने वाली उपलब्धियां 3676 GI/90—2 भारत को राजपत्र : ग्रसाधारण

(tita 12 = 14 to 5 (t)]	भारतःका सभ्यक्षः असावारण	•	9
2. यदि कर्मधारी अधिवाहिश है तो केवल अपने फोटो के प	।सपोर्ट ग्राकार की दो प्रतियां ही दी जाए ।		
 जहां किसी कर्मचारी के लिए ग्रपनी पत्नी वा भ्रप लेखा अधिकारी इत्स अनुप्रमाणित किए जाएंगे। 	ाने पति के साथ फोटो देना समव नहीं है वहां वह	ब्रलग फोटो दे सकेगा पा	दे सकेगी। फोटो
 यदि सभव हों तो कुछ सहज दृश्य चिन्ह, जो दो से कम 	न हों, विनिर्दिष्ट करें।		
5. वर्तमान पता ।		,	
 सेवानिवृत्ति के पश्चात् पता । 			
7. प्ररूप । में कुटुम्ब के अपैरे		1 2	
 उल्लेख करें कि क्या ग्रन्य किसी स्रोत जैसे सेगा, कि उपकम/स्वायत्त/निकाय स्थानीय निधि, से कुटुम्ब पेंशन ग्रनुझैय है 	सी राज्य सरकार और या केन्द्रीय सरकार या किसी रा '	ज्य सरकार के ग्रधीन किसी प	
स्थान			ogestate .
n (dd		हस्ताक्षर	
		पदनाम् _ः कार्याक्षय	
·			
	प्ररूप ३		To gain at a
~	[नियम 32 (2) देखिए]		en de la companya de
d 2	शन और उपदान का निर्धारण करने के लिए प्ररूप	•	:
1. कर्मचारी का ताम	भाग ।		ĝ÷.
 पन पारा ना पार पिना का नाम (स्रोर यदि कर्मवारो स्त्री है तो उसके पित 	2 3-1 7-12 oft.)	•	1.34
 जन्म सारोख (इसनी सन् के प्रन्सार) 	ા જાાના સા)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4. धर्म			1 (W)
 स्थाबी आवास का पता, प्राम, शहर, जिला ग्रोर रण्ज्य के 	साम मस्ति ।	******	1. 15
6. वर्तमान या अंतिम निगुनित, जिसके अंतर्गत स्थापन का न			
 सेवा श्रारंभ की तारीख 			ne n
s. सेवा समाद्धि की तॉ रीख	the second second second	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	taring a series
 (i) सैनिक सेंवा की वह कुल अबधि जिसके लिए पेंशन व 	यां लपदान मंजर किया <i>गमा</i> था	*******	With the book grown
(ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन/उपदान की	•1	*****	the state of the s
 पूर्व सिविल आ के लिए प्राप्त किसी पॅशन/उपकान की प्रा 		*****	
. तवा जिस सरकार के अधीन की गई है वह नियोजन के क		* * * * * * * *	
्र किस वर्ग की पेंशन लागू है।	4 1 4 1 di (वृष	मास दिन
 वह तारीख जिसको निम्नितिखित के लिए कार्यवाही भ्रारंभ (i) "तैवाकी प्रमाणपत्र" अगिप्राप्त करना, 	को गई यी	•••••	
(ii) पेंशन के लिए अर्हक सेवा मौर उपलब्धियों का निध	रिया	****************	
ा. सेवा पुस्तक में लोगों, तृटियों या कमियों के व्योरे, जिनकी	उपेक्षा की गई है।		•
 अर्ह्न सेवा की कुल अविध (व्यवधान की अविधयों को वरावर संगणित किया जाता है।) 	जोड़ने के प्रयोजन के लिए एक मास तीस दिन		Associated States
 अन्दंक सेवा की अवधियां 		ारीख से	्राप्तीस्य सम्बद्धाः स्थापना स स्थापना स्थापना स्थापन
 (i) माफ किया गया सेवा व्यवद्यान (ii) ऐसी असाधारण छुट्टी जो पेंशन के लिए अहित न व (iii) निलंबन की वह अविध जो अहैक न मानी गई हो। 	करती हो ।	. जसब्	त्। रीख्. तक्
(iv) कोई अन्य सेवा जो अर्हकान मानी गई हो	•		

4

)	THE GA	ZETTE OF IN	IDIA EX	TRAURDINARY	[PART II—SEC	. 3(1)]
ं ग्रोसत उपलब्धियां [*] सेवा के ग्रंतिम दंस	मास के दौरान ली गई उपल	व्धियो			.,,,,,,,,,	
धारित पद	तारीख से	तारीख तक	येतन	वैयंक्तिक या विशेष	वेतन श्रीसत उपलब्धियां	
1	2	3	4	5	6	
।, वह तारीख जिसको कर्मचारी की सेवा	 कर्मनारी से प्ररूप 2 प्रमिप्रा निवृत्ति की कारीख से प्राठ म	प्त किया गया है। गस पूर्व लिया जाना है	1	_	,	3.75
. (i) प्रस्तादित पेंश					*********	•
• •	। सेवानिवृत्ति उपदान			, -		
। पेंशन किस तारीख	से प्रारंभ होगी		,	,		
. यदि वोई के कर्मच	ारी के विरुद्ध सेवानिवृत्ति से	्पूर्व कोई विभागीय	या स्वायिक कार्य	वाहियां भुरू की पई हैं ते	। भ्रनंतिम पेंशन की प्रस्तावित रकम।	i
। उपदान में से वसूली	ो-योग्य बोर्ड के शोष्यों के क्यौ	?		•		•
	वंटन के लिए अनुज्ञन्ति			-	*****	
(ii) भ्रन्य शोष्ट्य	- 0	.			*****	
• •	निवृत्ति उपदान के लिए नाम					
-	मंचारी को लागू है और यदि				8	
1 7	के लिए संगणित की जाने बार				******	* * * * ₍₂₋₁₎
• •	के पश्चांत कर्मचां री को निम		हो जाने पर उसके	'कुटुम्ब को सदेय कुटुम्ब		
, , ,	त्यं की भ्रायृ प्राप्त करने से पूर त्यं की भ्रायुप्राप्त करने के प	•			£dú	
(9) 039						<u>arraza, </u>
	मामले में जहां ग्रंतिम दस पलब्धियों की संगणना करने				णना करने के लिये हिसान में नहीं जाएगा।	में लियो राजिस जक्षा कर क
	पलब्धियों की संगणना प्रत्येक					
• •	पूर्ण मदातन ब्योरे जैसे वे प्ररू					्रे वेहरूर करते. -
 ſ सं.	कुदुम्ब के सदस्यों के	ा नाम		जन्म तारीख	कर्मचारी से नाता (१९०० वर्ग करावा	টুট্টাই∀ ³⁶ এইবল হেড
1	2			3	Carlo Acade ye	
ه بین می مستون <u>شد شد. بین مستون شد. بر</u> زود		·				ا البياط موجوعة عام. - الروائد الأدواد ال
					ÿ .	·
•					•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	,				4	
 7. ऊंचा ई				ين بنو سه چها څخه چه پښه چه څک څخه پې وي د پښه چې	ريا هذا هند چين _{هند خون} شو چين اسان مين شه هند چين ميا هيد (شه شاه مين ميا هيد وين وين شه داد د د د د د د د د د د د د د د د د د	
 अन्तर पहचान चिन्ह 						
 पहचान । पास पॅशन के संदाय के 	ा स्थान					y y
	क्तिसं लेखा शीर्पक के नाम	डाले जाने हैं।				:
क प्रयास सार जाया	• अध्य संभाग संभाग स्था				लेखा अधिव	्यक्ता की । हा री ्रा
			भाग 2			
			भनुभाग 1			
द्या मुखांकन :			•			

ा. ग्रहक सैंदा की कुल भवधि जो प्रधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकर या प्रानिवार्य से वानिवृत्ति पेंशन और उपदान के लिए स्वीकार का गई । ग्रनुसात भवधि (इस प्ररूप के भाग 1 में उपदर्शित भनुसात भवधि से भिन्न) की नामंजूरी के कारण, यदि कोई हों, लिए जाएंगे।

 अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति या अवक्त, या प्रतिकर या प्रनिवार्ग सेवानिवृत्ति पेंशन या उपदान की वह रकम जो स्वीकार कर 	सी गई है।
. ग्रधिवर्षित। यो सेवानिवृत्ति यो अशक्त या प्रतिकर या भनिवार्य सैवानिवृत्ति पेंशन भीर उपदान किस तारीख से भनुनेय है।	
े 4. अधिवर्षिता या सेवातिवृत्ति या अशक्त या प्रतिकर या अनिवाय सेवानिवृति पेंशन आर उपदान किस सेखा शीर्ष मदे प्रभायं है।	
 क्षेत्रानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में कुटुम्ब के हकदार सदस्यों को संदेय होने वाली कुटुम्ब पेंशनं 	
	का दक्ता।
प्रनुभाग 2	
1, कर्मचारी की नाम	*********
2. पेंशन यो उपदान को वर्ग	*********
3. प्राधिकृत पेंशन की रकम	
4. प्राधिकृत उपदान की रक्तम	*********
5. पेंशन प्रारंभ होने की तारीख	******
 सेवानिवृत्ति के पण्चात् निम्नलिखित दशा में मृरयु हो जाने पर अनुत्तेय कुटुम्ब पेंशन की रकम 	************
(i) 65 वर्ष की आयु प्रान्त करने से पूर्व मृह्मु, या) (၂၈၈၈) ရေးသည် အေရ ရန် မြို့ရှိသွား
(ii) 65 वर्ष की अयु प्रान्त करने के पश्चात् मृत्यु	*************
7. पेंसन पर अनुकोध श्रेणी श्राधारित राहत की रकम	*************
8. उपदान का संदेश प्राधिकृत किए जाने से पूर्व उसमें से बसूली योग सरकारो शोध्य ।	************
9, नकद निर्देश की रक्तन या उपदान की रकम जो श्रनिर्धारित शोध्यों के समायोजन के लिए विधरित की गई है।	**************
10. बहु सारीख जिसको पेंशन पत्न लेखा स्रधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए हैं।	**************
पेंग्रन गणना पर्ची	
क्या नाम	*************
स्र उस पद का नाम जिससे सेवानियुत्त हुआ है	**************
ग पद जिस पर ग्रन्तिम झार सेवा की है	***************
ध जन्म तारीख (श्रंकों मीर शब्दों में)	*************
उ अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की तारीख	******
च नियम जिनके ब्रधीन पेंशनिक प्रमुविधाएं निर्धारित की गर्ह	William All Milliam
छ पेंशन के लिए ग्रहंक सेवा जिसमें पृथक रूप से निम्नलिखित उपर्वांगत किया गया हो:	
(i) मर्हक सेवा के लिए परिवर्धन जैसे उदाहरण के लिए,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(ii) सेवा की यह श्रविध जो पेंशन के जिए महैंक नहीं है जिसमें प्रत्येक के सामने शहैंक न होने के कारण उपविधित किए गए हों।	e e e a la companya e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
ज सेवानिवृत्ति/प्रधिवर्षिता के पूर्व पिछले वस मासों के दौराग दी गई उपलब्धियों (वैतन सहित)	ा अस्ति गर्देश के
(वैतन, बिशेष वेतन,प्रतिनियुक्ति भत्ता, निजी वैतन, महंगाई वेतन, ग्रंतरिम राहत, ग्रावि)।	**************************************
झ श्रीसत उपलिध्यों की संगणना जिन पर पेंशन नियत की गई है।	************
ण मंजूर की गई पेंशन भीर कुटुस्ब पेंशन की फुल रकम	********
ह पेंशन की संगणना के स्पोरे	× **************
(i) संगणित मासिक पेंशन की प्रतिशतता रकम, भौर	*************
(ii) प्राधिकृत पेंजन के संगणित मूल्य की रकम	
ठ मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान की संगणना	*******
ह मंजूर किए गए मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति जगदान की न्कम	******
द टिप्पणियां	*********
प्ररूप 4	· 13
[नियम 28 (1) वैखिए]	:
कुटुम्ब पेंगन के दिए जाने के लिए किसी मृतक कर्मचारी की विधवा/विधुर को भेजे जाने वाले पत का प्रारूप	Ħ
सेवां में,	
विषय : स्वर्गीय भी/श्रीमती	
महोदय महोदया,	2 4 1/2 × 1
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेल उद्योग विकास बोर्ड कमँचारी (पेंशन) नियम, 1989 के निबंधनों के अनुसार बोर्ड	के ातावलिय में स्वर्गीय
श्री श्रीमती (पदनाम) की विभवा विभूद के रूप में भापको कुटुम्ब पेंशन संदेप है।	

आपको सलाह दी जाती है कि कुटुम्ब पेंशन की मंजूरी के लिए दादा संलग्न प्ररूप 5 में प्रस्तुत किय जाए ।

3. कुटुम्ब पेंशन मापको पृत्युवा पुनः विवाह तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो संदेव होगी। आपकी मृत्यु या पुनः विवाह हो जाने की दशा में कुटुम्ब र्वेशन संरक्षक की मार्फत वालक या बालकों को, यदि कोई हों, दी जाएगी।

भवदीय,

लेखा ग्रधिकारी

प्र₹प 5 .

[नियम 36(1) ग्रीर नियम 38(4), (5) ग्रीर (6) देखिए] कमंबारी पेंशनभोगी की मृत्यूपर कुटुम्ब पेंशन दिए जाने के लिए ग्रदेवन का प्ररूप

ग्रावेदक का नाम :

(i) विधवा/विधुर

(ii) यदि मृतक व्यक्ति का/के उत्तरजीवी/वालक है/हैं तो संरक्षक

 मृतक कर्मवारी वेंशनभोगी की कि उत्तरजीवी विधवा/विधु श्रीर वालक के नाम और श्रायु। मृतक व्यक्ति के साथ नातेदारी 1. 3. मृतक पेंशनमोगी के पेंशन संदाय भादेशका नाम भीर संख्या 4. कर्मवारी पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख 5. मृतक कर्मचारी पेंशनसोगी ने अंतिम बार किस कार्यालय में सेवा की थी। 6. क. यदि भ्रावेदक कोई विधवा/विधुर है तो सेवा पेंशन की वह रकम जो उसके पति/पत्नी की मृत्यु की तारीख को उसे मिल रही श्रीता ७ माबेदक का पूरा पता। पेंशन और उपदान के संदाय का स्थान और वैंक 9. संलग्नकः

- (i) मावेदक के हस्ताक्षर के दो नमूने, जो सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित किए हैं (दो भ्रलग-भ्रलग कागजों पर प्रस्तुत किए जाएं) 🕬 🕆
- (ii) ग्रावेदक के फोटो की पासपोर्ट ग्राकार की दो प्रतियां, जो सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई हैं।
- (iii) दो पचियां, जिनमें से प्रत्येक पर श्रावेदक के बाएं हाथ के अंगूठे* और अंगुलिया की छापें हैं जो सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित की गई है वा ीज (ii)
- (iv) आवेदक की सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित विवरण-गमावली जिसमें (क) ऊंचाई धीर (ख) हाथ, चेहरे आदि पर के तैयवितक जिन्ह, यदि कोई हो। उपदक्षित किए गए हों। (कुछ सहजद्य्य चिन्ह विनिर्दिष्ट कीजिए जो, यदि संभव हो तो, दो से कम न हो)।
 - (द) प्रतियां प्रस्तुत की जाएं) ।
- (v) आयु का/के प्रमाणपत्न (मूल प्रमाणपत्न, जो अनुप्रमाणित प्रतियों सहित) जिसमें जिनमें बालकों की जन्म-तारीखें दिशत की गई हैं। यह प्रमाणपत्न नगरपालिका प्राधिकारियों के अथवा स्थानीय पंचायत का अथवा यदि बालक किसी मान्यता-प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहा है तो ऐसे विद्यालय के प्रधान का होना चाहिए । (यह जानकारी ऐसे बालक या बालकों की बाबत प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके या जिनके जन्म-तारीख संबंधी विवरण वोडे कार्यालय अध्यक्ष के वाभ उपलब्ध न हों)।
- 10. उपर्दाशत करें कि क्या किसी अन्य स्रोत-सेना या और/या. केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय/ स्यानीय निधि से कुट्म्ब पेंशन अनुज्ञेय हैं।

1: ग्रावेदक के हस्ताक्षर या वाएं होय के अंगूठे की छाप*

^{*}उस दशा में प्रस्तुत की जाए जब कि प्रावेदक इतना साक्षर न हो कि अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके।

(ii) उपादन के लिए अनहुँक असाधारण छुट्टी।



1.2. निम्नाविदित द्वारा स्वपूर्वाणिया— साम एरा पता (i) (ii) (ii) (ii) (iii) 1.3. सासी (i) (iii) (iiii) (iiii) (iiii) (iiii) (iiii) (iiii) (iiii) (iiiiiii) (iiiiiiii	[भेरा IIखण्ड 3(i)]	भारत का राज	द्धः प्रसाधारण	13
(i) (ii) 1.3 साली (i) (ii) िर्टेश्वर :— प्रमुख्यान के दो राज किंत प्रत्य के हैं हो हो ते करते जा नर्रत्य के हिन्न में आवेदक निकास करता है, यो या स्थिक प्रतिष्ठिक का किंदि हो हो जा को वोदक हतनों साक्ष्य न हो कि अपने नाम के ह्लाक कर सकें। प्रवासक कालक की और से दुद्धव वेशित के लिए झावेदन करते समय किंदाकों के पुनः विवाह को वारों में बहुद्ध वेशित के लिए झावेदन में (i) अपने दुनः दिराद को लारोख, (ii) अपना पूरा पता देना चिहिए। यह सोवक्षक मही है कि हन पर सिरे से सावेदन करें यो वे दलावेक प्रसुत करें वो जन कालक नहीं है कि हन परि ते सावेदन करें यो वे दलावेक प्रसुत करें वो जन कालक नहीं है कि हन परि ते सावेदन करें यो वे दलावेक प्रसुत करें वो जन कालक नहीं है कि हन परि ते सावेदन करें यो वे दलावेक प्रसुत करें वो जन कालक नहीं है कि हन परि ते सावेदन करें यो वे दलावेक प्रसुत करें वो जन कालक नहीं है कि हन परि ते सावेदन करें यो वे दलावेक प्रसुत करें वो जन कालक नहीं है कि हम परि ते सावेदन करें यो वे दलावेक प्रसुत करें वे सहस्त के प्रसुत करें वे सावेदन करें सावेदन करें सावेदन करें सावेदन के सावेदन करें सावेदन के मुख्य के पहि के सावेदन करें सावेदन करें सावेदन करें सावेदन करें सावेदन करें सावेदन करें सावेदन के मुख्य के मुद्ध के सावेदन के सावेदन के सावेदन के सावेदन के सावेदन के सावेदन करें सावेदन के सिद्ध सावेदन के सावे	1 2. निम्नलिखित द्वारा भ्रनूप्रमाणित:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
(ii) (ii) (iii) (iv) (iv)	न।म	पूरा पता	हस्ताक्षर	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(i)		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	
(i) (ii) हिल्ला :— प्रमृत्यामण दो रात क्षित सरकारों से रहें हार ध्यरा छन्न नरा/योच या परणों के, जिसमें छावेदक निकास करता है, यो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों हारा किया जाना चाहिए। हिला देना में त्रान्ति किया जाए, जनकि छावेदक दना साक्षर न हो कि अपने नाम के हस्तासर कर सके। प्रवचक साक की और से कुट्रच गेंगन के लिए छावेदन करते क्षम किया के पुन. विचाह को त्या में विजया को छुट्रच पेंगन के लिए छावेदन में (i) अपने पुन: रिवाह को लारोख, (ii) अपना पूरा पता देना चाहिए। यह धोवव्यक नहीं है कि वह नए सिरे से आवेदन करने या ये दस्तावेक मस्तुत करने पता वालक पता के प्रतावेक करने ही कि यर चावक पता की मार्च थी। प्रवच कावक पत्रों के साथ पहले से ही उन्तक्ष्य है जिन पर मुद्रच्य पेंगन बारोकत जै साइय की गई थी। प्रवच किया में पहले हुए कर्जवारी की मृत्यु की बता में मुद्रच्य पेंगन बारोकत जै सिए प्रवच की गई थी। प्रवच करने पत्रों से साथ पत्री की मृत्यु की बता में मुद्रच्य पेंगन और मृत्युनचा सेवा निमृत्ति उपतान का संवाय निम्नित और प्राधिक्षत करने के सिए प्रवच मार्गा (यह कर्जवारी की मृत्यु की वत्री साम मार्गा 1 1. मृतक कर्तवारी का काम। (यदि कर्जवारी हो हो उनके पति का नाम भी) ' अन्त सारोख (देतवी सन् के मृत्युतार)। 4. मृत्य की शारोख (देतवी सन् के मृत्युतार)। 4. मृत्य की शारोख (देतवी सन् के मृत्युतार)। 5. धर्म 10. (i) सीतिक सेवा के वह मृत्य प्रवचित किए, रेंबन उपचान मृत्यूर किया गया था, भीर (ii) सीतिक सेवा के लिए प्राप्त किसी रेंबन उपस्ता भी रक्ता और उसकी प्रकृति। 12. सेवा जिल्ला केवा के लिए प्राप्त किसी रेंबन करिया चेवन के छन्ता भीर उसकी प्रकृति। 13. यह तारीख किसकी कर्मचारी की मृत्यु की प्रवाचन के प्रवच के स्वयुती से सम्पूत्त प्रवच में वाद्या मार्ग कर प्रवच्या की मृत्युती हो भीना से सी (देवा सी	(ii)			
(i) (ii) हिल्ला :— प्रमृत्यामण दो रात क्षित सरकारों से रहें हार ध्यरा छन्न नरा/योच या परणों के, जिसमें छावेदक निकास करता है, यो या अधिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों हारा किया जाना चाहिए। हिला देना में त्रान्ति किया जाए, जनकि छावेदक दना साक्षर न हो कि अपने नाम के हस्तासर कर सके। प्रवचक साक की और से कुट्रच गेंगन के लिए छावेदन करते क्षम किया के पुन. विचाह को त्या में विजया को छुट्रच पेंगन के लिए छावेदन में (i) अपने पुन: रिवाह को लारोख, (ii) अपना पूरा पता देना चाहिए। यह धोवव्यक नहीं है कि वह नए सिरे से आवेदन करने या ये दस्तावेक मस्तुत करने पता वालक पता के प्रतावेक करने ही कि यर चावक पता की मार्च थी। प्रवच कावक पत्रों के साथ पहले से ही उन्तक्ष्य है जिन पर मुद्रच्य पेंगन बारोकत जै साइय की गई थी। प्रवच किया में पहले हुए कर्जवारी की मृत्यु की बता में मुद्रच्य पेंगन बारोकत जै सिए प्रवच की गई थी। प्रवच करने पत्रों से साथ पत्री की मृत्यु की बता में मुद्रच्य पेंगन और मृत्युनचा सेवा निमृत्ति उपतान का संवाय निम्नित और प्राधिक्षत करने के सिए प्रवच मार्गा (यह कर्जवारी की मृत्यु की वत्री साम मार्गा 1 1. मृतक कर्तवारी का काम। (यदि कर्जवारी हो हो उनके पति का नाम भी) ' अन्त सारोख (देतवी सन् के मृत्युतार)। 4. मृत्य की शारोख (देतवी सन् के मृत्युतार)। 4. मृत्य की शारोख (देतवी सन् के मृत्युतार)। 5. धर्म 10. (i) सीतिक सेवा के वह मृत्य प्रवचित किए, रेंबन उपचान मृत्यूर किया गया था, भीर (ii) सीतिक सेवा के लिए प्राप्त किसी रेंबन उपस्ता भी रक्ता और उसकी प्रकृति। 12. सेवा जिल्ला केवा के लिए प्राप्त किसी रेंबन करिया चेवन के छन्ता भीर उसकी प्रकृति। 13. यह तारीख किसकी कर्मचारी की मृत्यु की प्रवाचन के प्रवच के स्वयुती से सम्पूत्त प्रवच में वाद्या मार्ग कर प्रवच्या की मृत्युती हो भीना से सी (देवा सी	13. साक्षी			
(ii) टिल्लल :	· versus			
श्रीविक्त व्यक्तियों हारा किया जाना चाहिए। *उन दाना में बर्दुन किया जाए, जबकि आवेदक दिला साधर न हो कि अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके। प्रवयक बालक की और से कुट्टून पेंतन के लिए आवेदक करतो साधर न हो कि अपने नाम के हस्ताक्षर कर सके। (1) अपने पुतः दिनाह को लारीका (11) अपना पूरा पता देना चाहिए। यह सोवक्षक नहीं है कि नह नए सिरे से आवेदम करेगा में दस्तावेज प्रस्तुत गरे जो जन कानक-पत्नों के साथ पहले से हो जातकथ है जिन पर कुट्टून पेंतन को साथ पत्ने से हो जातकथ है जिन पर कुट्टून पेंतन आरे पाला जो पाह्य की गई थी। प्रवय कि निष्य अपने पाला के साथ पत्ने से हो जातकथ है जिन पर कुट्टून पेंतन और मृत्यूनका सेवा निर्माण करेगों में प्रवास के साथ पत्ने के सिए प्रकथ । प्रवास के मंदिर के सुर कर्मचारों की मृत्यू की दाता में कुट्टून पेंतन और मृत्यूनका सेवा निर्माण का संवाय निर्माणित कोर प्राधिक्रत करने के लिए प्रकथ । पत्ता ना नाम (विद्या की काम । रित्ता ना नाम (विद्या की सन् के कनुतार) । 4. मृत्यून की तारीच (कैसनी सन् के कनुतार) । 4. मृत्यून की तारीच (कैसनी सन् के कनुतार) । 8. सेता सार्टिक की सन् के लिए प्राप्त किसी पैंतन जपनान मंत्रून किया गया था., और (11) सैनिक सेवा की वह कुल अवधि जिसके लिए, पैंधन जपनान मंत्रून किया गया था., और (11) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पैंचन को रक्त और जसकी प्रकृति । 10. (1) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पैंचन को रक्त और उसकी प्रकृति । 11. पूर्त सिक्ति सेवा के लिए प्राप्त किसी पैंचन को रक्त और उसकी प्रकृति । 12. सेता जिस अपना के अधीन की गर्त है वह नियोजन के तम के अनुतार । 13. वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यू की प्रवापना प्राप्त हुई।। 14. यह तारीख जिसकी निम्मीचिक्त कर्मवाही प्रकृत के सिए वार्वेदारों से अनुवित प्रस्त में वार्वा या वार्व धिम्मीम्य करवार के सिए वार्वेदारों से सिम वांव्य निम्मीचिक्त करवाई। (11) व्यारी प्रमाणस्त्र मिन्नीचिक्त कर्मवाही महिनों से लिए वार्वेदारों से सिम्मीमंत्र स्वार्य के अधिनों के संवर्ग में सोध्यों कि सिम मोध्य निम्मीचिक्त करवाई।		*********************************		
• उत्तर शा में प्रशुत िशा जाए, जबलि आवेदन इतना साक्षर न ही कि अपने नाम के हुस्ताक्षर कर सके । प्रयवक्त बालक की और से फुटुस्व गेंगन के लिए आवेदन करते क्षमव विश्वा के पुनः विवाह को द्वारों निज्यों को कुटुस्व गेंगन के लिए आवेदन में (i) अपने पुनः विताह को ठारोख, (ii) अपना पुरा पता देना चाहिए। यह ओवक्षक नहीं है कि वह नए विरे से आवेदन नरें या वे दलावेज प्रस्तुत कर जो उन कारक-पत्नों के साथ पहले से ही उनक्ष्म है जिन पर कुटुस्व गेंगन घारेंगत. उसे प्राह्य की गई थी। प्रवस 6 [नियम 37 (1) देखिए] सेवा में रहते हुए कर्मवारी की मृत्यू की बता में कुटुस्व गेंगन और मृत्यू-वधा सेवा निय्ति उपना का संवाय निर्धारित और प्राधिक्षत करने के सिए प्रकथ। भाग 1 प्रमुपांग 1 1. मृतक शर्मवारी का भाम 1. मृतक शर्मवारी का भाम 1. मृतक शर्मवारी का भाम 1. मृतक शर्मवारी का काम (विद कर्मवारी है हो उनके पति का नाम भी) 3. जन्म तारीख (ईतनी सन् के अनुसार) 4. मृत्यु की तारीख (ईतनी सन् के अनुसार) 5. धर्म 6. किस कार्यालय, में सेविम बार निर्माजित था 7. अतिम बार प्रार्थित निर्मालत । 8. सेवा मारील भी तरीख । 10. (i) सेनिक तेवा की वह मृत्य क्षमी किसके तिए, पेंचन उपवान के रक्षमा और उचकी प्रकृति । 11. पूर्व विवित्य तेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंचन को रक्षम और उचकी प्रकृति । 12. सेना जिस भागका के अधीन की गई है यह नियोजन के क्षम के कनुसार । 13. बह तारीख विवत्य निर्मालित कर्मवाही प्रारंभ की गई थी	टिथ्यणः श्रनुंश्रमाणनं दो राज (लित सरकारी) प्रतिष्ठितः व्यक्तियों द्वारा किया जान	से∡हों द्वारा ऋयता उस नगर/गीव या ता चाहिए।	परवने के, जिसमें ग्रावेदक निकास करता	है, दो या अधिक
(i) अपने पुनः विश्वह को नारीख, (ii) अपना पूरा पना देना चाहिए। यह भोववक नहीं है कि वह नए सिरे से आवेदन करें या वे दत्तानेज प्रस्तुत करें जो उन कार्यक-पन्नों के साथ पहले से हो उपनक्ष है जिन पर मृद्धन पेंगन मार्रायः उसे प्राह्म की गई थी। प्रश्य 6 [नियम 37 (1) देखिए] सेचा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु की दवा में कुटुन्च पेंगन और मृत्यु-चा सेवा निर्वृत्ति उपनान का संवाय निर्वारित भीर प्राप्तिक करने के सिए प्रश्य । भाग 1 भूतक गर्भचारी का भाम । : पिता का नाम (यदि कर्मचारी हती है तो उसके पति का नाम भी) 3. जम्म तारीख (देसनी सन् के भनुसार) 5. धर्म 6. किंत का व्यांत्रम, में अंतिम बार निर्वृत्तित था। 7. अंतिम बार धारित निर्वृत्ति । 8. सेवा आरंप भी तारीख । 10. (i) सैनिक सेवा की वह मृत्य प्रविध जिसके लिए, रेंगन उपशान मंजूर किया गया था, धौर (ii) सैनिक सेवा की वह मृत्य प्रविध जिसके लिए, रेंगन उपशान मंजूर किया गया था, धौर (ii) सैनिक सेवा की वह मृत्य प्रविध जिसके लिए, रेंगन उपशान मंजूर किया गया था, धौर (ii) सैनिक सेवा की किए, पदि कोई हो, प्राप्त किती पेंगन की रकम और उसकी प्रकृति । 12. सेना जिस अन्यान के अधीन की गरी है वह निर्योजन से क्रम की रकम ग्रीर उसकी प्रकृति । 13. बहु तारीख जिसकी निम्नित्तित कर्मचही प्राप्त की प्रवृत्त की मही पी— (i) मृत्य-व्यानीय-निवृत्ति उपश्वत हो प्राप्त की ती धी— (ii) वेवाकी प्रमाणक्ष प्रभिन्नाल करना ; कुटून्च पेंगन के लिए शो से सी मोध्य से सोध्य से सीध्य से सोध्य से सीध्य से सीध्य से सीध्य से सीध्य से सीध्य से सीध्य से सिव्य स्था से स्था स्था स्था कि क्रियोग के संबंध से सोध्य से सोध्य से सिव्य सिव्य से साध्य से सिव्य से सीध्य से सीध्य से सीध्य से सिव्य सिव्य स्था सीध्य सिव्य स्था से सिव्य स्था सीध्य सिव्य स्था सीध्य सिव्य स्था स्था स्था स्था सिव्य स्था सिव्य स्था स्था सिव्य स्था सिव्य स्था सीध्य सिव्य स्था सिव्य सिव्य स्था सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य			कि हस्ताक्षर कर सके।	
(i) अपने पुनः विश्वह को नारीख, (ii) अपना पूरा पना देना चाहिए। यह भोववक नहीं है कि वह नए सिरे से आवेदन करें या वे दत्तानेज प्रस्तुत करें जो उन कार्यक-पन्नों के साथ पहले से हो उपनक्ष है जिन पर मृद्धन पेंगन मार्रायः उसे प्राह्म की गई थी। प्रश्य 6 [नियम 37 (1) देखिए] सेचा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु की दवा में कुटुन्च पेंगन और मृत्यु-चा सेवा निर्वृत्ति उपनान का संवाय निर्वारित भीर प्राप्तिक करने के सिए प्रश्य । भाग 1 भूतक गर्भचारी का भाम । : पिता का नाम (यदि कर्मचारी हती है तो उसके पति का नाम भी) 3. जम्म तारीख (देसनी सन् के भनुसार) 5. धर्म 6. किंत का व्यांत्रम, में अंतिम बार निर्वृत्तित था। 7. अंतिम बार धारित निर्वृत्ति । 8. सेवा आरंप भी तारीख । 10. (i) सैनिक सेवा की वह मृत्य प्रविध जिसके लिए, रेंगन उपशान मंजूर किया गया था, धौर (ii) सैनिक सेवा की वह मृत्य प्रविध जिसके लिए, रेंगन उपशान मंजूर किया गया था, धौर (ii) सैनिक सेवा की वह मृत्य प्रविध जिसके लिए, रेंगन उपशान मंजूर किया गया था, धौर (ii) सैनिक सेवा की किए, पदि कोई हो, प्राप्त किती पेंगन की रकम और उसकी प्रकृति । 12. सेना जिस अन्यान के अधीन की गरी है वह निर्योजन से क्रम की रकम ग्रीर उसकी प्रकृति । 13. बहु तारीख जिसकी निम्नित्तित कर्मचही प्राप्त की प्रवृत्त की मही पी— (i) मृत्य-व्यानीय-निवृत्ति उपश्वत हो प्राप्त की ती धी— (ii) वेवाकी प्रमाणक्ष प्रभिन्नाल करना ; कुटून्च पेंगन के लिए शो से सी मोध्य से सोध्य से सीध्य से सोध्य से सीध्य से सीध्य से सीध्य से सीध्य से सीध्य से सीध्य से सिव्य स्था से स्था स्था स्था कि क्रियोग के संबंध से सोध्य से सोध्य से सिव्य सिव्य से साध्य से सिव्य से सीध्य से सीध्य से सीध्य से सिव्य सिव्य स्था सीध्य सिव्य स्था से सिव्य स्था सीध्य सिव्य स्था सीध्य सिव्य स्था स्था स्था स्था सिव्य स्था सिव्य स्था स्था सिव्य स्था सिव्य स्था सीध्य सिव्य स्था सिव्य सिव्य स्था सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य सिव्य	ग्रवपस्क बालक की और से कुटम्ब पेंशन के लिए	ए ग्रावेदन करते समय विधवा के पुनः	विवाह को दशा में विजय को कुटुम्ब पेंशन	के लिए आवेदन में
[नियम 37 (1) देखिए] सेवा में रहते हुए कर्मवारी की मृत्यू को वसा में कृद्धव पेंशन और मृत्यू-तथा सेवा निर्मृत्त उपदान का संवाग निर्माप्त की मृत्यू की वसा में कृद्धव पेंशन और मृत्यू-तथा सेवा निर्मृत्त उपदान का संवाग निर्माप्त की माग 1 1. मृतक गर्मवारी का का । 1. मृतक गर्मवारी का का । 1. मृतक गर्मवारी का का । 1. मृत्यू की तारीख (देसकी सन् के अनुसार) 3. जन्म तारीख (देसकी सन् के अनुसार) 4. मृत्यू की तारीख (वैसकी सन् के अनुसार) 5. धर्म 6. किस कार्याव्य, में अंतिम बार निर्माणित था । 7. अंतिम बार धारित निर्मृतित । 8. सेवा सार्थम की तारीख । 10. (i) सैनिक केवा की वह मृत्व अवधि क्रिसके तिए, पेंशन उपदान मंजूर किया गया था, धरिर (ii) सैनिक केवा की वह मृत्व अवधि क्रिसके तिए, पेंशन उपदान मंजर उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिविक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान को रकम और उसकी प्रकृति । 2. सेवा जिस अन्यार के अधीन की गर्म है वह नियोजन के कम के अनुसार । 3. बह तारीख किसकी कर्मवारी की मृत्यू की प्रवारन में पार्च हैं। । 4. यह तारीख किसकी कर्मवारी की मृत्यू की प्रवारन में पार्च हैं। । 4. यह तारीख किसकी कर्मवारी की मृत्यू की प्रवारन के लिए दावेदारों से सन् मृत्यू कर में दावा मा दावे प्रकृत्यान करका; (ii) वेदाकी प्रमाणपत धिक्षमण करांवा के संवंध में नोध्यों ते निक्त मोध्य निव्यंत्व करवा ; (iii) यावात के अधिकों पर्याण्य धिक्षमणें में संवंध में नोध्यों ते निक्त मोध्य निव्यंत्व करवा ; (iii) यावात के अधिकों पर्याण्य धिक्षमणें में संवंध में नोध्यों ते निक्त मोध्य निव्यंत्व करवा ;	(i) अपने पुनः विदाह को तारीख, (ii) अपना पूरा पर	ता देना चाहिए। यह म्रावश्यक नह	हिंहै कि वह नए सिरे से ग्रावेदन करें या वे	
सेवा में रहते हुए कर्मवारी की मृत्यु की वता में कुटुब्ब पेयान और मृत्युत्तवा सेवा निवृत्ति उपवान का संवाय निव्यंपित और प्राधिक्वत करने के लिए प्रक्य । शाग 1 मनुभाग 1 1. मृतक पर्मवारी को काम । 2. पिता का नाम (यदि कर्मवारी हती है तो उसके पित का नाम भी) 3. जन्म तारीख (ईसवी सन् के अनुसार) । 4. मृत्यु की तारीख (ईसवी सन् के अनुसार) 5. धर्म 6. किस कार्यालय, में अंतिम बार नियोजित पा । 7. अंतिम बार धारित नियुक्ति । 8. सेवा मार्रम भी तारीख । 10. (i) सैनिक तेवा की वह मृत्य अवधि जिसके लिए, पेंशन उपवान मंजूर किया गया था, धार (ii) तैनिक तेवा की लिए प्राप्त किसी पेंशन उपवान में रक्त और उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिक्ति सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपवान भी रक्तम और उसकी प्रकृति । 12. सेवा जिस अन्यान के अधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के अनुसार । 13. बह तारीख जिसको निन्नितिब्त का मंवाही प्रारंभ की गई थी—— (i) मृत्युत्था-तेव निवृत्ति उपवान में कुट्यूव पेंशन के लिए वावेवारों से समृचित प्रक्ष में वावा या दाने प्राप्ता करना; (iii) वावास के अधिकों से संवंध में तोश्यों से किस मोधि निर्वारित करना ।; (iii) आवास के प्रधिकों से संवंध में तोश्यों से किस मोधि निर्वारित करना ।;		प्ररूप 6		
सेवा में रहते हुए कर्मवारी की मृत्यु की वता में कुटुब्ब पेयान और मृत्युत्तवा सेवा निवृत्ति उपवान का संवाय निव्यंपित और प्राधिक्वत करने के लिए प्रक्य । शाग 1 मनुभाग 1 1. मृतक पर्मवारी को काम । 2. पिता का नाम (यदि कर्मवारी हती है तो उसके पित का नाम भी) 3. जन्म तारीख (ईसवी सन् के अनुसार) । 4. मृत्यु की तारीख (ईसवी सन् के अनुसार) 5. धर्म 6. किस कार्यालय, में अंतिम बार नियोजित पा । 7. अंतिम बार धारित नियुक्ति । 8. सेवा मार्रम भी तारीख । 10. (i) सैनिक तेवा की वह मृत्य अवधि जिसके लिए, पेंशन उपवान मंजूर किया गया था, धार (ii) तैनिक तेवा की लिए प्राप्त किसी पेंशन उपवान में रक्त और उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिक्ति सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपवान भी रक्तम और उसकी प्रकृति । 12. सेवा जिस अन्यान के अधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के अनुसार । 13. बह तारीख जिसको निन्नितिब्त का मंवाही प्रारंभ की गई थी—— (i) मृत्युत्था-तेव निवृत्ति उपवान में कुट्यूव पेंशन के लिए वावेवारों से समृचित प्रक्ष में वावा या दाने प्राप्ता करना; (iii) वावास के अधिकों से संवंध में तोश्यों से किस मोधि निर्वारित करना ।; (iii) आवास के प्रधिकों से संवंध में तोश्यों से किस मोधि निर्वारित करना ।;		ितयम 37 (1) देखिए		
लिए प्ररूप । भाग 1 मनुभाग 1 1. मृतक वर्भवारी का काम । 2. पिता का नाम (यदि कर्भवारी स्त्री है तो उसके पित का नाम भी) 3. जन्म तारीख (ईसबी सन् के अनुसार) । 4. मृत्यु की तारीख (ईसबी सन् के अनुसार) । 4. मृत्यु की तारीख (ईसबी सन् के अनुसार) 5. धर्म 6. किस कार्यालय, में श्रंतिम बार नियोजित था । 7. श्रंतिम बार धारित नियुक्ति । 8. सेवा सारंभ भी तारीख । 10. (i) सैनिक सेवा की वह मृत्य श्रवधि जिसके लिए, पेंशन उपयान मंजूर किया गया था, धार (ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपयान भी रक्तम और उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिक्ति सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रक्तम और उसकी प्रकृति । 12. सेवा जिस शास्त्रा के अधीन भी गई है वह नियोजन के क्रम के अनुसार । 13. बह तारीख जिसको निम्निविवित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी—— (i) मृत्यु-चया-सेव-निवृत्ति उपयान ग्रों कुट्म्ब पेंशन के लिए यावेंबारों से समुचित प्ररूप में वावा या दावें प्रकृति। (ii) वेंबाकी प्रमाणपल प्रकृतिपत्त करना; (iii) वेंबाकी प्रमाणपल प्रकृतिपत्त करना;	सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्य की दशा रे			ाधिकृत करने के
भाग 1 1. मृतक सम्भेवारी का नाम । 2. सिता का नाम (यदि कर्मवारी स्त्री है तो उसके पित का नाम भी) 3. जन्म तारीख (ईसजी सन् के भनुसार) । 4. मृत्यु की तारीख (ईसजी सन् के भनुसार) 5. धर्म 6. कित कार्यालय, में श्रीतम बार नियोजित पा । 7. श्रीतम बार धारित नियुक्ति । 8. सेवा भारंभ की तारीख । 9. सेवा समास्त्रि की तारीख । 10. (i) सैनिक सेवा की वह भूल अवधि लिसके लिए, पँगन उपवान मंजूर किया गया था., धार (ii) सैनिक सेवा के लिए प्रान्त किसी पँगन उपवान की रकम और उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पँगन की रकम और उसकी प्रकृति । 12. सेवा लिस शान्यार के अधीन की गई वह नियोजन के अनुसार । 13. वह तारीख लिसको कर्मवारी की मृत्यु की प्रजापना प्राप्त हुई । । 14. वह तारीख जिसको निम्नलिखित कार्यवाही प्रारंग की गई थी— (i) मृत्यु-तथा-चेव-निवृत्ति उपवान और मृत्यु-वर्गन के लिए वावेदारों से समृचित प्रकृप में वावा या वावे श्रीभुप्राप्त करना; (ii) वेवाकी प्रमाणपत अभिप्राप्त करना; (iii) श्रावास के अधिभोग के संबंध में जोव्यों से निम्न शोव्य निर्यारित करना । (iii) श्रावास के अधिभोग के संबंध में जोव्यों से निम्न शोव्य निर्यारित करना ।				
 मृतक यामंचारी का नाम । पिता का नाम (यदि कर्मचारी स्त्री है तो उसके पित का नाम भी) ' जन्म तारीख (ईसजी सन् के भनुसार) । मृत्यु की तारीख (ईसजी सन् के भनुसार) धर्म किस कार्यालय, में श्रंतिम बार नियोजित था । श्रंतिम बार धारित नियुक्ति । सेवा आरंभ की तारीख । सेवा आरंभ की तारीख । (i) सैनिक सेवा की वह कुल प्रविधि जिसके लिए, पॅशन उपदान मंजूर किया गया था, धाँर (ii) सैनिक सेवा के लिए, पाद किसी पॅशन उपदान की रकम और उसकी प्रकृति । पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पॅशन की रकम और उसकी प्रकृति । सेवा जिस शत्कार के श्रधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के अनुतार । वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रशापना प्राप्त हुई । सह तारोख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रशापना प्राप्त हुई । सह तारोख जिसको निम्तिलिखत कर्मवाही प्रारंभ की गई यी (i) मृत्यु-तथा-सेव-निवृत्ति उपदान श्रीर कुटुम्ब पॅशन के लिए दावैदारों से समुचित प्रकृप में दावा या दावे अभिप्राप्त करना; (ii) येवाकी प्रमाणपत्न श्रक्षिप्राप्त करना; (iii) श्रावास के श्रिधमोग के संबंध में शोध्यों से क्षित्र शोध्य निव्यत्ति तरना । 				
 पिता का नाम (यदि कर्मवारी स्त्री है तो उसके पित का नाम भी) ' जन्म तारीख (ईसवी सन् के अनुसार) । मृत्यु की तारीख (ईसवी सन् के अनुसार) धर्म किस कार्यांतय, में श्रंतिम बार नियोजित था । अंतिम बार धारित नियुक्ति । सेवा आरंभ की तारीख । सेवा आरंभ की तारीख । (i) सैनिक सेवा की वह कृत श्रवधि जिसके तिए, पेंशन उपदान मंजूर किया गया था, धार (ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान मंजूर किया गया था, धार (ii) सैनिक सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रकम और उसकी प्रकृति । सूर्व सिव्ति सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रकम धार उसकी प्रकृति । सूर्व सिव्ति अक्तो कर्मचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई । । सह तारीख जिसको नम्चित्तित करमेवा प्राप्त की प्राप्त के निष्य वावेदारों से समुचित प्रकृप में दावा या दावे प्रकृपाप्त करना; (ii) वेवाकी प्रमाणपत अधिभाष्त करना; (iii) येवाकी प्रमाणपत अधिभाष करना; संबंध में बोधमों के अधिभोग के संबंध में बोधमों की सिक्त बोध्य निव्यत्ति करना । 		अनुभाग 1		
 3. जन्म तारीख (ईसवी सन् के अनुसार) । 4. मृत्यु की तारीख (ईसवी सन् के अनुसार) 5. धमं 6. किस कार्यालय, में श्रंतिम बार नियोजित या । 7. श्रंतिम बार धारित नियुक्ति । 8. सेवा आरंभ की तारीख । 10. (i) सैनिक सेवा की वह कृत श्रवधि जिसके तिए, पँक्षन उपवान मंजूर किया गया था., धार (ii) सैनिक सेवा की वह कृत श्रवधि जिसके तिए, पँक्षन उपवान की रक्षम और उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिवल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पँक्षन की रक्षम और उसकी प्रकृति । 12. सेना जिस शरकार के अधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के श्रनुतार । 13. वह तारीख जिसको कर्मधारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई । 14. यह तारीख जिसको निम्निसित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी—— (i) मृत्युन्तयानीव निवृत्ति उपवान और कृद्धव पँक्षन के लिए दावैदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे प्रक्षिप्राप्त करना; (ii) वैवाकी प्रमाणपत अक्षिप्राप्त करना; (iii) श्रवास के अधिभोग के संबंध में जोड़यों से निम्न शोड़य निर्वारित करना । 	1. मृतक कार्नचारीका नाम ।			*
4. मृत्यु की तारीख (ईसवी सन् के अनुसार) 5. धर्म 6. किस कार्यालय, में ग्रंतिम बार नियोजित या । 7. ग्रंतिम बार धारित नियुक्ति । 8. सेवा आरंभ की तारीख । 9. सेवा समाप्ति की तारीख । 10. (i) सैनिक सेवा की वह कृत ग्रवधि भिसके तिए, पेंशन उपदान मंजूर किया गया था, धाँर (ii) सैनिक सेवा के तिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान की रकम ग्रौर उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिवित सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रकम ग्रौर उसकी प्रकृति । 12. सेवा जिस ग्रन्थार के श्रधीन की गई है वह नियोजन के कम के अनुसार । 13. वह तारीख जिसको कमंचारी की मृत्यु की प्रजापना प्राप्त हुई । । 14. धह तारीख जिसको तम्चालिवत कार्यवाही प्रारंभ की गई थी—— (i) मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान ग्रोर कुटुम्ब पेंशन के लिए दावेदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे ग्रांभ्राप्त करना; (ii) वेदाकी प्रमाणपत्न ग्रांभ्राप्त करना; (iii) ग्रावास के श्रधिभोग के संबंध में शोध्यों से क्षित्र शोध्य निर्वारित करना ।	 पिता का काम (यदि कर्मचारी स्त्री है तो उसके पित 	तकानाम भी)'		Profession
 5. धर्म 6. किस कार्यालय, में ग्रंतिम बार नियोजित था। 7. ग्रंतिम बार धारित नियुक्ति। 8. सेवा भारंभ की तारीख। 10. (i) सैनिक सेवा की वह कृत श्रविध जिसके लिए, पेंशन उपदान मंजूर किया गया था., धाँर (ii) सैनित सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान को रक्तम और उसकी प्रकृति। 11. पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन को रक्तम और उसकी प्रकृति। 12. सेना जिस अग्वार के अधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के अनुसार। 13. वह तारीख जिसको कर्मचारों की मृत्यु की प्रशापना प्राप्त हुई।। 14. वह तारीख जिसको निम्नलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी (i) मृत्युन्तया-सेव-निवृत्ति उपदान और कृदुम्ब पेंशन के लिए वावैदारों से समृचित प्ररूप में वावा या दावे प्रकृपाप्त करना; (ii) वेवाकी प्रमाणपत्न ग्रक्षिप्राप्त करना; (iii) ग्रावास के श्रिधमोग के संबंध में शोध्वों से क्षिप्त शोध्वारित करना!; 	3. जन्म तारीख (ईसनी सन् के भनुसार)।			
 6. किस कार्यालय, में श्रंतिम बार नियोजित था। 7. श्रंतिम बार धारित नियुक्ति। 8. सेवा झारंभ की तारीलः। 9. सेवा समाप्ति की तारीलः। 10. (i) सैनिक सेवा की वह कुल श्रवधि जिसके लिए, पेंशन उपदान मंजूर किया गया था., धाँर (ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान की रकम और उसकी प्रकृति। 11. पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रकम और उसकी प्रकृति। 12. सेवा जिस ग्रंकार के श्रधीन की गई है वह नियोजन को कम के श्रनुसार। 13. वह तारीख जिसको कमंचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई।। 14. यह तारीख जिसको निम्निलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी (i) मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदानश्रोर कुटुम्ब पेंशन के लिए वावेदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे श्रभिप्राप्त करना; (ii) वेवाकी प्रमाणपत्न श्रभिप्राप्त करना; (iii) श्रावास के श्रधिभोग के संबंध में शोधों से निल्ल शोध्य निर्धारित करना!; 	4. मृत्यु की तारीख (ईसवी सन् के अनुसार)			
 ग्रांतम बार धारित नियुक्ति । सेवा भारंभ की तारीख । सेवा समिति की तारीख । (i) सैनिक सेवा की वह कुल श्रविध जिसके लिए, पेंकन उपदान मंजूर किया गया था., धार (ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंकन उपदान की रकम और उसकी प्रकृति । पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंकन की रकम और उसकी प्रकृति । सेवा जिस अग्कार के अधीन की गई है वह नियोजन के अम के अनुसार । वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई । वह तारीख जिसको निम्निखित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी (i) मृत्यु-तथा-सेव-निवृत्ति उपदान और कुटु-व्य पेंशन के लिए दावेदारों से समृचित प्ररूप में दावा या दावे प्रक्षिप्राप्त करना; (ii) वेवाकी प्रमाणपन्न श्रक्षिप्राप्त करना; (iii) ग्रावास के प्रधिभोग के संबंध में जोडगों से चिन्न घोड़य निर्धारित करना । 	5. धर्म			20 · - 7 · - 7
 8. सेवा आरंभ की तारील । 10. (i) सैनिक सेवा की वह कुल श्रविध जिसके लिए, पेंशन उपदान गंजूर किया गया था., धाँर (ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान की रकम और उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रकम और उसकी प्रकृति । 12. सेवा जिस ग्रम्कार के अधीन की गई है वह नियोजन के कम के अनुसार । 13. वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई । । 14. वह तारीख जिसको निम्निलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी (i) मृत्यु-तथा-सेव-निवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेंशन के लिए दावेदारों से समुचित प्ररूप में वावा या दावे प्रक्षिप्राप्त करना; (ii) वेवाकी प्रमाणपल ग्रिक्षप्राप्त करना; (iii) ग्रावास के श्रविभाग के संबंध में शोध्यों से चित्र शोध्य निर्यारित करना ; 	0. किस कार्यालय, में श्रंतिम बार नियोजित या।			
 9. सेवा समीप्ति की तारीख । 10. (i) सैनिक सेवा की वह कुल श्रवधि लिसके लिए, पेंशन उपदान मंजूर किया गया था., घाँर (ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान की रकम और उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रकम और उसकी प्रकृति । 12. सेवा जिस अग्कार के अधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के श्रनुसार । 13. वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई । । 14. वह तारीख जिसको निम्निलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी (i) मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान ग्रोण कुटुम्ब पेंशन के लिए दावेदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे प्रक्षिप्राप्त करना; (ii) वेवाकी प्रमाणपत्त श्रक्षिप्राप्त करना; (iii) ग्रावास के श्रिधभोग के संबंध में जोडयों से क्षित्र गोडय निर्वारित करना ; 	7. ग्रंतिम बार धारित नियुक्ति ।			
 9. सेवा समीप्ति की तारीख । 10. (i) सैनिक सेवा की वह कुल श्रवधि लिसके लिए, पेंशन उपदान मंजूर किया गया था., घाँर (ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान की रकम और उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रकम और उसकी प्रकृति । 12. सेवा जिस अग्कार के अधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के श्रनुसार । 13. वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई । । 14. वह तारीख जिसको निम्निलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी (i) मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान ग्रोण कुटुम्ब पेंशन के लिए दावेदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे प्रक्षिप्राप्त करना; (ii) वेवाकी प्रमाणपत्त श्रक्षिप्राप्त करना; (iii) ग्रावास के श्रिधभोग के संबंध में जोडयों से क्षित्र गोडय निर्वारित करना ; 	8. सेवा भारंभ की तारीए ।			
10. (i) सैनिक सेवा की वह कुल श्रवधि जिसके लिए, पेंशन उपदान मंजूर किया गया था., धौर (ii) सैनिक सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान की रकम और उसकी प्रकृति। 11. पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रकम और उसकी प्रकृति। 12. सेवा जिस ग्राप्तार के श्रधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के श्रनुसार। 13. वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई।। 14. वह तारीख जिसको निम्निलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी (i) मृत्यु-तथा-सेव-निवृत्ति उपदान और कुटु-व्य पेंशन के लिए दावेंदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे प्रभिप्राप्त करना; (ii) वेंवाकी प्रमाणपत्न श्रक्षिप्राप्त करना; (iii) श्रावास के श्रधिभोग के संबंध में शोध्यों से भिन्न शोध्य निर्धारित करना ;				
(ii) सैनित सेवा के लिए प्राप्त किसी पेंशन उपदान की रक्त और उसकी प्रकृति । 11. पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी पेंशन की रक्त और उसकी प्रकृति । 12. सेवा जिस अन्कार के अधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के अनुसार । 13. वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई । । 14. यह तारीख जिसको निम्निलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई यी (i) मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेंशन के लिए दावेदारों से समुचित प्ररूप में वावा या दावे प्रक्षिप्राप्त करना; (ii) बेवाकी प्रमाणपत्न ग्रक्षिप्राप्त करना; (iii) ग्रावास के अधिभोग के संबंध में शोध्यों से भिन्न शोध्य निर्यारित करना ;		पेंशन उपदान मंजूर किया गया था.	, धाँर	
12. सेवा जिस अन्कार के श्रधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के अनुसार। 13. वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रजापना प्राप्त हुई।। 14. वह तारीख जिसको निम्निलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई यी (i) मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेंशन के लिए दावेदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे प्रक्षिप्राप्त करना; (ii) बेवाकी प्रमाणपत्न श्रक्षिप्राप्त करना; (iii) श्रावास के श्रधिभोग के संबंध में शोध्यों से भिन्न शोध्य निर्धारित करना ;				
12. सेवा जिस अन्कार के श्रधीन की गई है वह नियोजन के क्रम के अनुसार। 13. वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रजापना प्राप्त हुई।। 14. वह तारीख जिसको निम्निलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई यी (i) मृत्यु-तथा-सेवा-निवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेंशन के लिए दावेदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे प्रक्षिप्राप्त करना; (ii) बेवाकी प्रमाणपत्न श्रक्षिप्राप्त करना; (iii) श्रावास के श्रधिभोग के संबंध में शोध्यों से भिन्न शोध्य निर्धारित करना ;	11. पूर्व सिविल सेवा के लिए, यदि कोई हो, प्राप्त किसी	पेंशन की रकम और उसकी प्रकृति		
 13. वह तारीख जिसको कर्मचारी की मृत्यु की प्रज्ञापना प्राप्त हुई। 14. वह तारीख जिसको निम्निलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी (i) मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान ग्री॰ कृदुम्ब पॅशन के लिए दावेदारों से समृचित प्ररूप में दावा या दावे ग्रीभुप्राप्त करना; (ii) वेवाकी प्रमाणपत्न ग्रीभुप्राप्त करना; (iii) ग्रावास के ग्रीधभोग के संबंध में शोव्यों से भिन्न शोध्य निर्धारित करना; 				
14. वह तारोख जिसको निम्नलिखित कार्यवाही प्रारंभ की गई थी (i) मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान ग्रीर कुटुम्ब पेंशन के लिए दावेदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे प्रभिष्ठाप्त करना; (ii) बेबाकी प्रमाणपत ग्रिक्षप्राप्त करना; (iii) ग्रावास के श्रिक्षिभोग के संबंध में शोध्यों से भिन्न शोध्य निर्धारित करना ;				
(i) मृत्यु-तथा-सेव-निवृत्ति उपदान श्रीर कुटुम्ब पेंशन के लिए दावेदारों से समुचित प्ररूप में दावा या दावे प्रभिप्राप्त करना; (ii) वेदाकी प्रमाणपत्न श्रक्षिप्राप्त करना ; (iii) ग्रावास के श्रिष्ठिभोग के संबंध में शोव्यों से भिन्न शोव्य निर्धारित करना ;				*
(iii) ग्रावास के ऋधिभोग के संबंध में शोध्यों से भिन्न शोध्य निर्धारित करना ,	(i) मृत्यु-तथा-सेवः निवृत्ति उपदान ग्रो॰ कुटुम्ब पेंशन		वाया या दावे प्रभिप्राप्त करना;	
	The state of the s	चित्र गोध्य निर्धारित करना !.		
			ायां निर्मारित करना ।	
(i) कार काम का किसी कार्या के किया कार्यानिर्देशन किया गार्ग है।	- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12		. dage sh	
15. (1) क्या मृत्युत्तवा-सवागवृति उपायान के लिए प्रहेंक सेवा की भविष्ठ ।	16. मृत्यु-तथा सेवानिवृति उपदान पेंशन के लिए प्रहंक सेव	ाकी भविष्		-
17. अनर्हुंक सेवा अविधियां तारीख से तारीख सम			तारीख से	ं तारीख. तन
(i) माफ किया गया सेवा व्यवधान ।				

- (iii) निलस्वर की श्रवधि जो अनहंक मानी गई है।
 (iv) कोई अन्य सेवा जो श्रहंक सेवा नहीं मानी गई है।
 अनहंक सेवा की कुल अवधि

 18. (क) मृत्यु-तथा-सेवानिषृत्ति उपदान के लिए संगणित की जाने वाली उपलब्धियाँ।
 (ख) मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान की रकम।
- 19. युद्धि मुदुम्ब पेंशन लागू है तो,
 - (1) प्रस्तावित बुदुग्व पेंशन--
 - (क) वड़ी हुई दरों पर (यदि मृत्यु के समय तक की गई सेवा सात वर्ष से अधिक है)
 - (ख) माधारण दरों पर।
 - (i) ऐसे किसी मामले में जहां अस्तिम दस मास के अन्तर्गत ऐसी कुछ अविध भी है जिसकी औसत उपलब्धियों की संगणना करने के लिए गणना नहीं की जानी है तो पिछली समान अविध का औसत उपलब्धियों की संगणना करने के लिए हिन्दाव में लिया जाएगा ,
 - (ii) श्रीकृत उपलब्धियों के संगम ना प्रत्येक मास के दिनों की बास्त्रविक संख्या पर स्राधारित होनी चाहिए ।
 - (iii) कुटुम्ब पेंशन की धार्यता की अवधि

तारीख से

तारीख तक

- (क) बढ़ी हुई दरों पर
- (ख) साधारण दरों पर
- 20. वह व्यक्ति जिसे कुट्रम्ब पेंशन संदेश है। नाम मृतक कर्मचारी के साथ नातेदारी पूरा डाक पता
- 21. उपादान में से वसूली योग्य सरकारी शोध्यों के ब्योरे--
 - (i) ग्रावास के अधिभोग के लिए ग्रनुज्ञन्ति फीस ।
 - (ii) ग्रन्य मोध्य ।
- 22. वह तारीख जिसको दावेदारों से दावे प्राप्त हुए ।
- 23. उस संरक्षक का नाम जो अववस्कों की दशा में मृत्यु-तया-सैवानिवृत्ति उपदान और कुटुम्ब पेंशन का संदाय प्राप्त करेगा ।
- 24 संदाय का स्थान ।
- 35, मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान ग्रीर कुटुम्ब पेंशन किस लेखा शीर्ष के नाम डाले जाने हैं।

स्यान

तारीख

लेखा अधिकारी के हस्ताकार

भाग 2

म्रनुभाग 1

लेखा मुखांकन

- ा. महंक सेश की कुल मःधि जो निम्तलिखित के लिए स्वीकार की गई हैं--
 - (i) मृत्यु-तथा-सेवानिवृत्ति उपदान
 - (ii) कुटुम्ब पेंशन ।
- 2. शोहवों के समाधोजन के पश्चात् उपदान की शुद्ध रकम ।
- कुट्म्य पेंशन, की रकम और धार्यता की अवधि :

रकम धार्यता की भवधि

यदि मृत्यु--

(1) सात वर्ष की सेवा के पूर्व हुई है।

की मेना के पर्व दर्द है।

- (1) (1) (1) (1) (1)
- (ii) सात वर्षे की सेवा के पश्चात् हुई है।

ग्रनुभागः ? .

रुपए तारीख से तारीख तक

- 1. मृतक नामें वारी का नाम।
- 2. कमेचारी की मृत्यु की तारोखं
- 3. वह तारीख जिसको पेंशन पत्र लेखा ग्रधिकारी को प्राप्त हुए हैं।

- 5	· (vi)			٠ -	-91'-	20
: 				<u> </u>	i di	り ナ 15
[भाग]	∏ }ाण्ड 3(i)]		मारत का	राजपतः ग्रेसीधारण		13.
4. प्रा	भि तुदुस्व पेंशन की रकम।		•		•	1
	धिकृत उपदान की रकम ।			: • • .		. N. 14 *
6. कुट्	म्ब पेंशन के प्रारंभ की तारीख।	•		• • •		,, ,,
7. दह	तारीज जिसको कुदुम्य पेंशन औ	र उपदान का संदाय प्र	ाधिकृत किया गया है ।			
8. ' 3 ¶	दान से बसूली योग्य रक्ताः।					
स्थान	****	, •			लेखा श्रीधकारी	
तारीख						
				•		• : ,
			प्ररूप 7	•		•
			[नियम 38 (6) देखि	 बर्]		
•	ं उस पत्न का प्रख्य जिसमें उस से	वानियत्ति कर्मचारी के. र्	जिस की मत्य सेवानिवत्ति वे	है प्रस्तात हो जाती है किस्त	र जो अपने पीछे कोई विध	वी. या
				पेंशन मंजूर की जाती है।	,	, ,
			•	` सं	्र. ह्या	
,	•		•	• · · · · · · · स	रिख ^{ें} रेन्टरररररर	****
रीयों रे	•		· · · · · ·		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • •
	विषयं वालक/बालकों को कुटुम्ब	पेंशन का दियां जाना ।		•	•••	•
महोदय	i, ##		••			
	मुझे यह कहते का निवेश हुआ है इकी सेवानिवृत्ति पर '''''' कार्यालय को इस आशय की सु	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'''' रुपए की पेंशन	प्राधिकृत की गई थी।	्पदनाम)., ो हुई है और उसने अप	
2. 54	कि को विधवा/विधुर महीं छोड़ी कोई भी विधवा/विधुर महीं छोड़ी				ः हुइ हु आर उसन अपन	મ મૃત્યુ લ સમય :
क्रम सं	<u>ं । नाम</u>	पुत/पुत्री	जन्म	तारील ईसवी सन् के अनुसार	कुटुम्ब पेंशन किस. नहीं रह गई है ।	तारीखं से संदेय
 .		بية مستون فنه يقد وم في فيد بيد لهد ومه يستوسيد، فتعانسا	وبدويده استخداها إيدالها للدالية ومردد ودر ودر مده وبرخه			أحجوب مقدد شهريب
(1)	•				-	
(2)				•	•	
' }		3				
(4)					. •	
	·				·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	.3. तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मच फुटुम्ब पेंशन भवधस्त की भोर से	गरी (वेंशन) नियमों के । श्री/श्रीमती ' ' ' ' '	भ्रतुसार कुटुम्ब पेंशन की	रकम अगर वर्णित क्रम में : तक है, संदेग होगी ।	उक्त बालकों को संदेय हो ग	ाई है।
	4: कपर वर्णित वालकों को '''		'रुपए, प्रतिमास की कुटुम्ब	पेंशन दिए जाने की मंजूरी व	ो जाती है।	
_	 संलम्कों की सूची में दी गई 	जानकारी की स्रोर भ्रापव	हा ध्यान ग्राकृष्ट किया जा	ाता ।		
धनुदेश	6. कृपया इस पत्न की प्राप्ति आं सम्बद्ध संवितरक प्राधिकारी को भे	ं भस्वीकृत की जाए और ' जि [.] दिए गएं हैं ।	इस कार्यांनय को यह सू	चना दी जाए कि संरक्षक व	ते कुटुम्ब पेंसन के संदाय	संबंधी झादश्यक
•	•	_		, Me	नदीम,	
				•		!
•						
			. संतन्त्र को ।	की संची		
	1. सैरक्षकं स्थायीःयता ।		संतम्पनी	की सूची		
	1. संरक्षक [्] का स्यायी यता । इ. संरक्षक का स्थायी ।		संतम्पकों '	की सूची) 1. 2 - 1. 5 - #
	 संरक्षक का स्यायी पता । संवाक का स्याम । वावेदार या संरक्षक के हस्तीर्ज 	الخرائية كسرود	•			5

[नियम	38	(10)	देखिए
-------	----	------	-------

उस पत का प्ररूप जिसमें विधवा/विद्युर को, जिसे कुटुम्ब पैशन मिल रही थी, मृत्यु अथवा पुनर्विवाह होने पर वालक या वालकों को कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है

सेवा में,

विषय : बालक/बालकों को फ़ुटुम्ब पेंशन की मंजूरी

..... को जो इस कार्यालय में (पदनाम) घे/यी तारीख महोदय, मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि स्वर्गीय श्रीश्रीमती ' •••••रयए की कुटुस्व पेंशन प्राधिकृत की गई थी। यह कुटुस्त्र पेंशन विश्ववा, विश्वुर की मृत्यु तक श्रयवा ''को पुनर्विवाह हो गया है।

•••••• के निम्नलिखित वालक थे:---3. मृत्यु/पुर्तावबाह के समय श्री/श्रीमती '

कुटुम्ब पेंशन किस तारीख से जन्म तारीख ईसवी सन् में . पुत्र/पुत्री संदेय नहीं रह गई है। कम सं. ग्रनुसार (1)

(2)

(3)

4. कुटुम्ब पेंशन की रकम कपर वॉणत कम में उक्त वालकों को संदेय हो गई है। कुटुम्ब पेंशन भवयस्कों की भोर से श्री/श्रीमती जो संरक्षक है, संदेय होगी ।

..... रुपए, प्रति मास की फुटुम्ब पेंशन दिए जाने की संजूरी दी जाती है। , 5. सार वर्णित वालको को '''' भवदीय,

मक्षम "प्राधिकारी

संलानकों की सूची

- 1. संरक्षक का स्थायी पता ।
- 2. संदाय का स्थान ।
- 3. संरक्षक के हस्ताक्षर के नमूने घयना बाएं हाय के ग्रंगूठे ग्रीर ग्रंगूलियों की छापें जो सम्यक् रूप से ग्रनुप्रमाणित हैं।
- संरक्षक के फोटो की पासपोर्ट आकार की दो अनुप्रमाणित प्रतियां।
- सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित संरक्षक की विवरणात्मक नामावली ।

[फा. सं. 36012/6/87-वित्त-2] एन शिवसुब्रह्मभ्यन, सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum & Natural Gas)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 1990

G.S.R. 917(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules, pamely. namely:

CHAPTER 1

PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees' (Pension) Rules, 1990.
- (2) They shall come ino force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to all emg' yees of the Board, other than:—

- (i) those in casual and daily rated employment;
- (ii) those employed on contract for a specified period on a consolidated salary, except when the contract provides otherwise;
- (iii) the employees entitled to the benefit of a contributory provident fund;
- (iv) persons on deputation in the Board on foreign service terms;
- (v) those who are appointed on special terms and conditions of service or whose terms and conditions of service, even on appointment in the Board, provide otherwise or age regulated by or under the provisions of any other law, rules or regulations,
- 3. Definitions.—In these rules, unless the context brwise requires:—
 - (a) 'Accounts Officer' means the Financial Adviser and Chief Accounts Officer of the Board;
 - (b) 'Board' means the Oil Industry Development Board;
 - (c) 'Chairman' means the Chairman of the Board;
 - (d) 'Child' means a child of an employee who is under twenty five years of age;
 - (e) 'competent authority' means the Board and includes any authority specified as such in the Oil Industry Development Board Employees (General Conditions of Service) Rules, 1984, as amended from time to time;
 - (f) 'employee' means an employee of the Board;
 - (g) 'foreign service' means service in which an employee of the Board receives his pay with the sanction of the Board from any source other than the Oil Industry Development Fund;
 - (h) 'form' means a form appended to these rules;
 - (i) 'minor' means a person who has not completed the age of eighteen years;
 - (j) 'pension disbursing authority' means the Accounts Officer;
 - (k) 'pension sanctioning authority' means the appointing authority as defined in clause (b) of rule 2 of the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984, as amended from time to time;
- (I) 'Secretary' means the Secretary of the Board;
- (m) 'qualifying service' means service rendered while on duty or otherwise which shall be taken into account for the purpose of pensions and gratuities admissible under these rules.

CHAPTER II

GENERAL CONDITIONS

- 4. Regulation of claims to pension or family pension.—(1) Any claim to pension or family pension shall be regulated by the provisions of these rules in force at the time when an employee retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service or dies, as the case may be.
- (2) The day on which an employee retires or is retired or is discharged or is allowed to resign from service, as the case may be, shall be treated as a working day. The date of death shall also be treated as a working day.
- (3) In the case of an employee who is retired prematurely or who retires voluntarily, the date of retirement shall be treated as a non working day.
- 5. Limitation on number of pensions.—(1) An employee shall not earn two pensions in the same service or post at the same time or by the same continuous service.
- (2) Except in the case of Military pensioners reemployed in the Board, a Government servant or an employee of the Board who, having retired on a superannuation or retiring pension, is subsequently reemployed shall not be entitled to a separate pension or gratuity for the period of his re-employment.
- 6. Pension subject to future good conduct.—
 (1) Future Good conduct shall be an implied condition of every grant of pension and its continuance under these rules. The pension sanctioning authority, may, by order in writing, withhold or withdraw a pension or part thereof, whether permanently or for a specified period, if the pensioner is convicted of a serious crime or is found guilty of grave misconduct, subject to the condition that the balance of the pension that can be drawn by such pensioner shall be the same as may be prescribed by the Central Government from time to time for its employees.
- (2) A reasonable opportunity by issue of notice shall be given to the pensioner before ordering any such withholding or withdrawing of the pension.
- 7. Right of Board to withhold or withdraw pension.—(1) The Board shall have the right of withholding or withdrawing a pension or part thereof, whether permanently or for a specified neriod, and of ordering recovery from a pension of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Board, if, in any departmental or judicial proceedings, the pensioner is found gui'ty of grave misconduct or negligence during the period of his service, including service rendered upon re-employment after retirement.
- (2) If the departmental proceedings are not instituted while the employee was in service, whether before his retirement or during his re-employment, the same shall not be instituted without the same ion of the Board. No such proceedings shall be instituted in respect of any event which took place more than four years before such institution.

in the second section is a second

3076 GI/90-3

- ONAL
- (3) If the Board orders recovery of pecuniary loss caused to the Board from pension, the recovery shall not ordinarily be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the date of retirement of an employee.
- 8. Option to the existing staff.—(1) The employees who are in service on the date of commencement of these rules shall have the option to elect to pensionery benefits under these rules or continue to be governed under the Oil Industry Development Board Employees (Contributory Provident Fund) Rules 1978, within a period of six months from such date. The employees who do not exercise the option within that period shall be deemed to have opted to pensionery benefits under these rules.
- (2) In case an employee opts for pensionery benefits, the amount standing to the credit of his account, on the date of his exercising such option, as Board's contribution to the contributory provident fund, together with interest thereon, shall be transferred back from that account to the Oil Industry Development Fund.
- 9. Employees transferred from services and posts to which these rules do not apply.—(1) An employee who is transferred permanently from a service or post to which these rules do not apply shall become subject to these rules;

Provided that it shall be open to him, within six months of the date of issue of the order of his permanent transfer, or if he is on leave on that day, then within six months of his return from leave, whichever is later, to elect to be governed by the Oil Industry Development Board Employees (Contributory Provident Fund) Rules, 1978 in respect of service rendered in the Board and by the retirement benefits to which he was subject immediately before the date of his transfer in respect of service rendered by him in the previous employment.

- (2) The pensionerviretirement benefits for the nast service shall be regulated in accordance with the relevant orders instructions issued by the Central Government Board from time to time.
 - 3. The option, once exercised, shall be final.

. CHAPTER III

QUALIFYING SERVICE

- 10. Commencement of qualifying service.—(1) The qualifying service of an employee shall commence from the date he takes charge of the post on the regular establishment of the Board to which he is appointed on a regular basis.
- (2) In the case of an employee belonging to Central State Government or any other public sector organisation appointed on deputation to a post under the Board, is permanently transferred to a service or post to which these rules apply, the continuous service rendered under that Government Organisation, if any, shall count as qualifying service.
- (3) All leave during service for which leave salary is navable, all extraordinary leave granted on medical certificate and all extraordinary leave granted due to inability of the employee to join or rejoin duty on

account of civil commotion or for prosecuting higher technical and scientific studies, shall count as qualifying service.

- 11. Counting of service on contract.—(1) A person who is initially engaged by the Board on a contract for a specified period and is subsequently appointed to the same or another post on regular basis on a pensionable post without interruption of duty, may opt either—
 - (a) to retain the Board's contribution to Contributory Provident Fund with interest thereon including any other benefit for that service;
 - (b) to agree to refund to the Board or to forego the monetary benefits aforesaid and count in lieu thereof the service for which the monetary benefits may have been payable.
- (2) The option shall be exercised by the concerned employee within a period of three months from the date of issue of order of appointment to a pensionable post.
- (3) If no option is received within the prescribed period, the employee shall be deemed to have opted for the retention of the Contributory Provident Fund benefits payable or paid on account of service rendered on contract.
- 12. Counting of periods of suspension.—Time passed by an employee under suspension pending inquiry into his conduct shall count as qualifying service where, on conclusion of such inquiry, he has been fully exonerated or awarded a minor penalty or the suspension is held to be wholly unjustified. In other cases, the period of suspension shall not count unless the authority competent to pass orders under the Oil Industry Development Board Employees (Conduct, Discipline and Appeal) Rules, 1988 expressly declares at that time that it shall count.
 - 13. Counting of past service on reinstatement.-
- (1) An employee who is dismissed, removed or compulsorily retired from service, but is reinstated on appeal or review, is entitled to count his past service as qualifying service.
- (2) The intervening period of interruption in service including the period of suspension, if any shall not count as qualifying service unless regularised as duty or leave by a specific order of the authority which passed the order of reinstatement.

CHAPTER IV

EMOLUMENTS AND AVERAGE EMOLUMENTS

14. Emoluments.—The term 'emoluments' means pay as defined in Oil Industry Development Board Employees (Deth-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983, as amended from time to time, which an employee was receiving immediately before his retirement or on date of death or which he would have drawn on the date of retirement death had he not been absent from duty on leave or under suspension followed by reinstatement without forfeiture of service on that date.

15 Average Emoluments.—(1) Average emolument shall be determined with reference to the emoluments drawn by an employee during the last ten! In this of his service.

(2) If during the last ten months of his service an emproyee had been absent from duty on leave for which leave salary is payable or having been suspended had been reinstated without forfeiture of service, the emoluments which he could have drawn had he not been absent from duty or suspended shall be taken into account for determining the average emoluments.

CHAPTER V

CLASSES OF PENSIONS AND CONDITIONS GOVERNING THEIR GRANT

16. Superannuation pension.—A superannuation pension shall be granted to an employee who is retired on his attaining the age of superannuation.

- 17. Reticing pesnion.—A retiring pension shall be intend to an employee—
 - (a) who retires voluntarily or is retired in advance of the age of retirement by giving the prescribed notice;

OR ··

- (b) who, on being declared surplus, opts for voluntary retirement.
- 18. Invalid pension.—An invalid pension shall be granted to an employee who is declared by the Medical Officer in charge of a Government Hospital to be permanently incapacitated for further service. The amount of invalid pension shall not be less than the amount of family pension admissible under the family pension scheme.
- 19. Compensation pension.—Compensation pension is granted to an employee who is discharged from service on the abolition of his post when a suitable appointment of equal rank can not be found for him.
- 30. Compulsory Retirement Pension.—An employee empulsorily retired from service as penalty may be granted by the competent authority pension or gratuity or both at a rate not less than two-thirds and not more than full compensation pension or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement. The amount of pension sanctioned shall, however, not be less than three hundred and seventy five rupees per month.
- 21. Compassionate Allowance.—An employee who is dismissed or removed from service shall forfeit his pension and gratuity

Provided that the competent authority, may, if the case is deserving of special consideration, sanction a compassion te allowance not exceeding two-thirds of pension or gratuity or both, which would have been admissible to him had he retired on compensation pension:

Provided further that this allowance shall not be less than the minimum pension of three hundred and seventy five rupees per month.

CHAPTER VI

- 22. Regulation of amounts of pensions.—An employee who retires from service before completing qualifying service of ten years shall not be eligible for the payment of pension. He shall be entitled to a lump sum amount termed as 'service gratuity' calculated at a uniform rate of half month's emoluments for every completed six monthly (half year) period of service.
- 23. Amount of Pension.—The amount of pension and the dearness relief allowed to a retired employee and the amount of family pension or the dearness relief allowed to the family of a deceased employee or of a deceased pensioner shall be the same as may be prescribed by the Central Government for its employees from time to time.
- 24. Calculation of Pension.—(1) Pension shall be calculated at fifty per cent of 'average emoluments' for all cases and shall be subject to minimum and maximum amount of monthly pension before commutation, as may be prescribed by the Central Government for its employees.
- (2) The amount of pension arrived at vide subrule (1) above shall be related to the maximum qualifying service of 33 years. For employees who have, at the time of retirement, rendered qualifying service of ten years or more but less than 33 years, the amount of their pension will be such proportion of the maximum admissible pension as the qualifying service rendered by them bears to the maximum qualifying service of 33 years.
- (3) The amount of pension finally determined under these rules shall be expressed in whole rupees and where the pension contains a fraction of a rupee it shall be rounded off to the next higher rupee.
- 25. Retirement.—(1) The retirement of an employee from the service of the Board shall be regulated in accordance with the provisions contained in rule 16 of the Oil Industry Development Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984.
- (2) In case any employee opts for voluntary retirement under sub-rule (4) of rule 16 of the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984, his pension shall be based on the emoluments as defined in these rules and the increase not exceeding five years in qualifying service shall not entitle him to any notional fixation of pay for purposes of calculating pension and gratuity.
- 26. Death-cum-retirement Gratuity.—In addition to pension as may be available under these rules, the employees shall be entitled to Death-cum-Retirement Gratuity in accordance with the provisions contained in the Oil Industry Development Board Employees' (Death-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983, as amended from time to time.
 - 27. Family Pension.—Where an employee dies-
 - (a) after completion of one year of continuous service; or

- (b) before completion of one year of continuous service provided the deceased employee concerned immediately prior to his appointment to the service or the post was examined by the intedical Officer in charge of a Government Hospital and declared fit by that officer for service in the Board; or
- (c) after retirement from service he expired and was on the date of death in receipt of a pension,

the tamily of the deceased employee shall be entitled to tamily pension, at the rates, as may be prescribed by the Central Government for its employees from time to time.

- 26. Family Pension—to whom payable.—(1) The rum.y pension shall be payable to the family of the ucceased employee. 'Family' in relation to an employee means—
 - (a) wife in the case of male employee;
 - (b) husband in the case of female employee;
 - (c) sons who have not attained the age of 25 years;
 - (d) unmarried daughters who have not attained the age of 25 years.
- (2) Sons and unmarried daughters below the age of ?5 years shall also include such sons and daughters who have been adopted legally before retirement.
- (3) Wife or husband shall include respectively judicially separated wife or husband.
- (4) If the deceased employee pensioner leaves behind more than one widow, the second wife will not be entitled to family pension as a legally wedded wife.
- 2). (1) The family pension shall be payable to only one member of the family at a time.
- (2) It shall first be payable to the widow|widower till the date of her|his death or remarriage, whichever is earlier.
- (3) Thereafter it shall be payable to the eligible children in the order of priority. The eligibility of unmarried daughter shall start only if the eligibility of sons is exhausted.
- 30 Higher scale of family pension.—(1) When an employee dies while in service after having rendered not less than seven years continuous service, the family pension payable to the family of the deceased employee shall be equal to 50 per cent of the pay last drawn by the employee or twice the family pension admissible at the normal rates, whicheever is less.
- (2) This higher rate of family pension shall be payable from the date following the date of death of the employee for a period of seven years or for the period upto the date on which the deceased employee would have attained the age of 65 years, had he survived whichever is less.
- (3) In the event of death of an employee after retirement, the higher rate of pension as determined above shall further be restricted to the amount of

- pension authorised to such employee on retirement from service and shall be payable from the date following the date of death for a period of seven years or for the period upto the date on which the retired employee would have attained the age of 65 years, if he had survived, whichever is less.
- (4) An unmarried daughter shall become ineligible for family pension from the date she gets married.
- (5) The family pension payable to a son or a daughter shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood or attains 25 years of age whichever is earlier.
- 31. Admissibility of family pension to handicapped son(s) |daughter(s) even beyond the prescribed age limit.—If the son or the unmarried daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of 25 years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following, conditions namely,
 - (i) If such son or daughter is among two or more children of the employee, the family pension shall initially be payable to the minor children in the order set out in rule 30 until the last minor child attains the age of 25 and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of and or who is physically crippled or disabled and shall be payable to himilar for life;
 - (ii) If there are more than one such son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the Family Pension shall be paid in the following order namely—
 - (a) firstly to the son, and if there are more than one son, the younger of them will get the family pension only after the life time of the elder;
 - (b) secondly, to the daughter, and if there are more than one daughter, the younger of them will get the family pension only after the life time of the elder;
 - (iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor;
 - (iv) the grant of family pension to disabled children beyond the prescribed age limit is subject to the following conditions—
 - (a) the disability should have manifested itself before retirement or death of the employee while in service;
 - (b) a daughter shall become ineligible from the date she gets married;
 - (c) the family pension to such disabled con or daughter shall be stopped if he or she starts earning his her livelihood.

CHAPTER VII

- 32. Procedure for authorisation of Pension.—(1) With view to eliminating delays in the payment of superannuation pension and Retirement Death Gratuity, a time-bound schedule for processing pension cases shall be followed to ensure that payment of superannuation pension, in all cates, commences on the first of the month in which they are due:
- (2) One year in advance of the date on which the employee is due to attain the age of superannuation or the date of his anticipated retirement, if earlier the Competent Authority shall enture the preparation of pension papers including verification of service and completion of the particulars required in Form 3. Details of Family shall be obtained in Form 1.
- (3) The period of preparatory work of one year shall be divided into the following three stages:
 - (i) First Stage: The service book of the retiring employee shall be gone through to ensure that the certificate of verification of service is recorded for the entire period of service and that the unverified portions of service are got verified with reference to pay rolls, acquittance rolls and other relevant record or on the basis evidence produced by the employee.
 - (ii) Second Stage: While scrutinising the certificate of verification of service in the service book of the retiring employee, and other omissions, imperfections or deficiencies which have a direct bearing on the determination of emoluments and the service qualifying for pension shall also be identified and made good. For average emoluments the correctness of the emolument, drawn or to be drawn by the employee during the last ten months of service shall be taken into account but the actual verification will be done for the emoluments for the period of 24 months preceding the date of retirement of the employee.
 -) (iii) Third Stage: Form 2 duly completed shall be obtained from the retiring employee three months before the date of retirement,
- 33. (1) The process of determining the qualifying service and the average emoluments and the admissible pension and gratuity shall be completed in the Board's Secretariat three months before the date of retirement of the employee,
- (2) A copy of the pension calculation sheet shall be given to the retiring employee.
- 34. (1) After satisfactory scrutiny of the pension papers, the Competent Authority shall accord necessary sanction for the payment of Pension.
- (2) Save for good and sufficient reasons, the Accounts Officer thall issue the necessary Pension Payment Order not later than one month prior to the date of retirement.
- 35. Revision of pension after sanction.—(1) Subject to provisions of rule 7, of these rules a pension once canctioned after final assessment chall not he revised to the disadvantage of the employee unless

such a revision becomes necessary on account of detection of a elerical error subsequently;

- Provided that no revision of pension to the disadvantage of the pensioner shall be ordered without the concurrence of the Board if the clerical error is detected after a period of two years from the date of authorisation of the pention.
- (2) For the purpose of sub-rule (1), the retired employee shall be served with a notice requiring him to refund the excess payment of pension with a period of two months from the date of receipt of notice by him.
- (3) On his failure to comply with the notice, the excess payment shall be adjusted by short payments of pension in future, in one or more in talments, as may be decided.
- 36. Determination and authorisation of Family Pension when an employee dies while in service.-(1) On receipt of intimation regarding death of an employee while in service, immediate action shall be initiated for obtaining claim of family pension from the widow or widower in Form 5.
- (2) If the deceased employee is survived by only minor child|children, the guardian of the child|children can prefer the claim.
- (3) In case the employee was on extraordinary a claim in the said Form on behalf of the child if the child has attained age of eighteen years and such child may himself or herself submit a claim in the said Form.
- 37. Completion of Form 6.—(1) The work relating to verification of service and completion of Form 6 shall be undertaken at once in accordance with the prescribed procedure.
- (2) For the purpose of determination of emoluments for family pension, the verification of correctness of emoluments shall be confined for a maximum period of one year preceding the date of death of the employee.
- (3) In case the employee was on extraordinary leave on the date of death, the verification of the correctness of emoluments shall be confined for one year preceding the date of commencement of extraordinary leave.
- . (4) The process of determination of qualifying service and qualifying emoluments shall be completed within one month of the receipt of the infimation regarding the date of the death of employee and the amount of family pension, shall be calculated family pension shall be calculated accordingly.
- 38. Sanction of family pension in respect of deceased pensioners.—(1) On receipt of intimation regarding death of pensioner it shall be ascertained whether any family pension is payable in tespect of the deceased pensioner.
- (2) If the deceased pensioner is survived by a widowlwidower, the amount of family pension as indicated in the Pension Payment Order shall become payable to the widow|windower from the day following the date of death of the pensioner.

(1/2) C/5/

- (3) The payment shall commence on receipt of application from the widow widower concerned duly supported by the death certificate.
- (4) If the deceased pensioner is survived by child or children, the guardian of the child or children may submit the claim in Form 5.
- (5) Son unmarried daughter if he|she has attained the age of eighteen years may himself|herself tubmit a claim in Form 5.
- (6) On receipt of claim, the Family Pension shall be sanctioned in Form 7 and the Pension Payment order shall be i sued.
- (7) If a widow or widower in receipt of family pension remarries and has child or children from the former spouse at the time of remarriage, the married individual shall be eligible to draw the family pension on behalf of such child or children if such individual continues to be the guardian of such child or children.
- (8) If the remarried individual has, for any reason, ceased to be the guardian of such child or children, the family pension shall become payable to the person entitled to act as guardian of such child or children under the law for the time being in force and such person may submit a claim in Form 5 for the payment of family pension,
- (9) The guardian shall not be required to submit a claim on behalf of the son or unmarried daughter if he or she has attained the age of eighteen years and such person may himself or herself submit a claim in the said Form.
- (10) On receipt of the claim referred to in subclause 8 and sub-clause 9, the family pension shall be sanctioned in Form 8.

CHAPTER VIII

- 39. Payment of Pensions: (1) A pension other than family pension shall become payable from the date on which an employee ceases to be borne on the establishment.
- (2) Pension including family pension is payable for the day on which its receipient dies.
 - 40. All pension shall be payable in rupees in India.
- 41. Pension shall be fixed at monthly rates and shall be payable monthly on or after the first day of the following month.
- 42. A pension remaining undrawn for more than one year shall not be paid without the prior approval of the competent Authority.

- 43. (1) A declaration in the prescribed Form shall be obtained half-yearly from all receipients of family pension whose pensions are terminable on their marriage or remarriage.
- (2) In the case of a widow receipient of family pension, the declaration referred to in sub-rule (1) shall be obtained only on the first occasion if she undertakes to report promptly to the office in the event of her marriage.
- 44. A pensioner shall be identified by a comparison of his personal marks of identification as entered in the pension payment order and the signature to the receipt with the specimen signature posted on the original payment order. If a pensioner can not sign his name, his thumb impression on the receipt shall be compared with the original impression already taken on the disbursing officer's half of the pension payment order. A pensioner may also be identified on the resemblance between him and his photograph affixed to the copy of the disbursing officer's behalf of the Pension Payment Order.
- 45 Payment of pension shall be made by Postal Money Order at the option and expense of pensioner.
- 46. The payment of the pension shall be made at the office of the Board.
- 47. Nominations: Nominations made by an employee under the Oil Industry Development Board Employee's (Death-Cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983 as amended from time to time shall hold good for payment of arrears of pensions:

Provided that in case an employee who is due to retire has submitted a nomination in the prescribed form in triplicate within three months before or after the date of retirement conferring on any other person the right to receive, after his death, all moneys payable to him on account of pension, or before or after the date of nomination and which remain unpaid immediately before his death, the arrears of pension shall be paid to the person so nominated.

.CHAPTER IX

Commutation of Pension

48. An employee shall be entitled to commute for lump sum payment a fraction not exceeding one-third of his pension. If fraction of pension to be commu-

ः भारत का राजपत्तः भसाभारण 🚅 🚟 🚉 🗀 📖

89/4

ted results in fraction of rupee, such fraction of rupes will be gnored for the purpose of commutation. However, no employee against whom departmental or judicial proceeding have been instituted before the date of his retirement or the pensioner against whom such proceedings are instituted after the date of his retirement, shall be eligible to commute a fraction of his pension provisional pension during the pendency of such proceedings.

- 49. The employee shall be eligible to commute pension without medical examination.
- 50. The application for commutation shall be made to the office of the Board after the date of retirement. However, if the retirement is on superannuation, the application can be submitted before the date of superannuation.
- 51. The applicant shall make a nomination in the progribed form, along with his application for committion, conferring on one or more persons the right to receive the commuted value of pension in case he dies without receiving the commuted value on or after the date on which the commutation becomes absolute.
- 52. The commutation of pension shall become absolate on the date on which the application in the prescribed form is received in the office of the Board; and the pensioner will have no option to withdraw his application:

Provided that in the case where an employee retiring on superannuation submits application for commutation of pension before the date of superannuation, the commutation shall become absolute on the date following the date of retirement:

Provided further that the Board shall have no liability for the payment of commuted value of peusion if the employee dies before the date of superar ption or forfeits claim to pension before such remement.

- 53 The amount of commuted value of pension as finally calculated in accordance with the Table of values prescribed by the Central Government for its staff from time to time and applicable to the applicant on the date on which the commutation becomes absolute shall be rounded off to the next higher rupee.
- 54 An applicant who has commuted a fraction of his pension and after communication his pension has been revised and enhanced retrospectively, the applicant shall be paid the difference between the commuted value determined with reference to the enhanced pension and the commuted value already authorized. No fresh application shall be required for the payment of difference amount.
- 55. (1) If a pensioner dies without receiving the commuted value on or after the date on which it became absolute, the commuted value shall be paid to his nominee(s).
- (2) If there is no such nomination, or if the nomination made does not subsist, the commuted value

- shall be paid to the family in the manner indicated in the Oil Industry Development Board Employees' (Death-cum-Retirement) Gratuity Rules, 1983.
- (3) If in any case the commuted value can not be paid in the manner in sub-rules (1) and (2), the same shall be paid to his heirs
- 56: The date on which the payment of the commuted value of pension was made to the applicant shall be entered into the both halves of the Pension-Payment Order.
- 57. Reliefs admissible to pensioners will be calculated on the original amount of pension even after commutation of a portion of the pension.
- 58. Commuted portion of pension shall be restored after fifteen years from the date of retirement.

CHAPTER X

Miscellaneous

- 59. Payment of advances to Families of Employees who Die while in Service:—(1) The families of all regular employees who die in service (whether on duty or on leave with or without pay) will be eligible for the relief in the shape of advance limited to 3 months pay of the deceased or Rs. 3000 which ever is less.
- (2) The advance may on application and requisite undertaking be sanctioned by the Accounts Officer of the Board or the Competent Authority.
- (3) The advance when granted, shall be adjusted against the arrears of salary due, death gratuity, provident fund accumulation or any other payments due to the deceased within a period of six months from the date of sanction.
- 60. Interpretation.—Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for clarification.
- 61; Power to relax.—Where the Board is satisfied that the operation of any of these reles causes undue hardship in any Particular case, the Board may at its discretion, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.
- 62. Savings.—(1) On the commencement of these rules, rule 23 of the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984, shall, to the extent it provides for any matter contained in these rules, be deemed to have been modified.
- (2) Any matter not covered by these rules shall be regulated, to the extent applicable and appropriate, in accordance with the relevant provisions contained in the Central Services (Pension) Rules, 1972, as amended from time to time.

Name of the

members of

Remarks

Initials of

the Secretary

4 (γ) THE GAZ	ette of india: extraordinary	[PA
Name of the Employee	FORM 1 [See Rule 32(2)] DETAILS OF FAMILY	
Designation Date of birth Date of appointment Details of the members of my family tas on		

Date of

Birth

No. employee family* (6) (5) (4) (3) (2) (1)

Relationship

with the

1,

Serial '

2.

3.

4.

5.

б. 7:

8.

9.

I horeby undertake to keep the above particulars up-do-date by notifying to the Secretary any addition or alteration,

Signature of employee

Place---

NOTE. -Wife and husband shall include respectively judicially separtated wife and husband.

FORM 2

[See rulo 32(3)(iii)].

PARTICULARS TO BE OBTAINED FROM THE RETIRING EMPLOYEE EIGHT MONTHS BEFORE THE DATE OF HIS RETIREMENT

- 1. Name
- 2; (a) Date of birth
 - (b) Date of retirement.
- 3. Two specimen signatures (to be furnished in a separate sheet) duly attested by a gazetted Government server.t (1) by an officer. of the Board.
 - 4: Two copies of passport size joint photograph with wife or husband (To be attested by the Accounts Cifficer).
- 5. Two slips showing the particulars of height and 4 personal identification marks duly attested by a gazetted Government vant or by an officer of the Board.

^{1.} Two slips each bearing the left hand thumb and finger impressions duly attested may be furnished by a person who is not literate to sign his name. It such an employee on account of physical disability is unable to give left hand thumb and finger impressions he m y give thumb and finger impressions of the right hand: Where an employee has lost both the hands, he may give his toe impressions. improssions should by duly attested by a gazetted Government servant or by an officer of the Board. gart a time matter

Days

То

			i .							7.1
Y			(in)		- 11:-	0		•		07)
্ৰ খি	т I-	-खण्ड ३(i)]								· 8 //C-
	=	71. 74.444	···	· ·		ा राजपत्तः	1.11	11:	•	1, 25
=1	2.	wo copies of the passpoi	t size photogra	ph of self or	aly need be	furnishėd	if employ	ee is unma	rcied	
	. 3. T	vitere it is not possible for	an employee to	Sulmit a n	hataaranh .	alah biran	ife or her	husband, h	e or she m	ay submit separate
	4.	Specify a few conspicuous	marks, not less	than two. if	possible.	•				*
	5. `	Present address.		•	. 412011			. •		1
	6. A	ddress after retirement.		•		,	•			
	7. I	otails of the family in For	m 1,				•	• •		
		Indicate whether family p ling/autonomous body/Lo	ension is admiss cal Fund under	sible from a the Centra	ny other so I or a Stat	urceMi e Govern	litary or ; ment.	State Gove	ınment ar	d/or a rublic sector
_	ace	<u></u>			Signal	ture .				
D	ated th				De Offi	signation ce.	•	;	•	
					FORM.3					
				ſS	ce rule 320	2)1		• •	·	
			FORM O	f Assessi			ስ ሬወልሞ	· (Yerse	•	
		•	•	•	PART I	OLA PLIA	· OKAI)11 X		•
) _{1.}	Nam	o of the employee				-a	وروان والمراجع	r minoru		· · · ·
2.		r's name (and also husban		•••		. •		5 3517 (2) 		
		in the case of female emp		•••				-		,
3,		of birth (by Christian era)		•••		•	•	•	• `.	
4.	Relig			100						
5.	Permi villag	ment residential address, s te, town, district and State,	owing .	•••		••	•	•		* , ·
6.		nt or last appointment incl of establishment:	uding	•		4				•
7.	Date	of beginning of service								
8,	Date	of ending of sorvice		•••				·-··· -· .		
9,	(i) '	Total period of military se	rvice				-	• •	••	
		for which pension or gratusanctioned	ity was			•				
		Amount and nature of any gratuity received for the neervice	penston/- nilitary	***	• • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			٠.,	
10.	Amou	nt and nature of any pensi	on					•	•	-
)	gratui service	y received for previous ci	vil	·	•	,				

From

Government under which service has been rendered in order of employment

The date on which action initiated to-(i) obtains the 'No demand certificate' (ii) assess the service and emoluments qualifying for pension, 14. Details of omissions, imperfections or deficiencies in the service book which

Class of pension applicable

15. Total length of qualifying service

16. Periods of non-qualityfying service-

(for the purpose of adding towards broken periods, a month is reckoned

(i) Interruption in service condoned (ii) Extraordinary leave not qualifying for

have been ignored

as thirty days)

pension

3076 OJ/90-4

(i	iii) Poriod of susponsion not treated	l'as qualifying			
(i	iv) Any other service not treated as	qualitying	<u>ت مذره در ۱</u> ۰	<u> </u>	and the second second second second
		Total		•	
_	3 moluments reckoning for gratuity	***			
	¥	***			
A	Average emoluments *Emplumentt drawn during the last t	en months of serv	lce.		<u></u>
			l pay or Special pay		Average Emoluments
şt.	held From To	Pay Persona	I pay or special pay	<u> </u>	
<u>.</u>	- 242				
	- a leas abto	ined from the	•		
Ţ	Date on which Form 2 has been obta om איני (T) איני וגענון, איני וגענון, איני וגענון, איני וגענון, איני	ths before the			
0	date of retirment of the employee)	411		•	
	(i) proposed pension				•
	(ii) Proposed graded relief	•		•	_
	proposal death-cum-retirement grav	uity			•
	Date from which pension is to come	nence	• •		•
	150 Isanizivora 30 account of provisional Det	ision. It de			
		[G 1110111010.	•		
	ngainst the Board's employee below	(tireurose-		•	
	Dard dues recovrable ou	t of gratuity :			
	(i) Lizance fee for the allotment of	110030			• •
	(ii) Other dues	***			
	Whether nomination made for—De retirement gratuity			• •	•
	Whather Family Pension applies to	the employee		•	•
	and if co				
	(i) emplument reckaning for the	on bicoming			··
	(ii) the amount of the family pensi	on occoming			•
	`	nninyee ii acau			
	navable to the family of the er	11010300 27 0000			
	payable to the family of the en	Upidjeo zi dom		Rs.	
	payable to the family of the eletakes place after retirement— (a) before attaining the age of	65 years, or		Rs.	ting average emoluments an equal
	physic to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten many the age.	65 years, or of 65 years caths include som n for calculating a	e based on actual nun	Rs. konea for calcula	
→	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten many the declaration of average emily of the calculation of average emily of the calcul	65 years, or of 65 years That his include som of or calculating a columents should be its of the family as	e based on actual nun s given in Form 1.	Rs. konea for calcula	lined in each month.
	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten many the declaration of average emily of the calculation of average emily of the calcul	65 years, or of 65 years That his include som of or calculating a columents should be its of the family as	e based on actual nun	Rs. konea for calcula	ting average emoluments an equal lined in each month, Relatiouship with the employee
	physic to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten many the age.	65 years, or of 65 years That his include som of or calculating a columents should be its of the family as	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten many the declaration of average em. (ii) The calculation of average em. (iii) Complete and up-to-date detal. Num of the manber of the fam.	65 years, or of 65 years That his include som of or calculating a columents should be its of the family as	e based on actual nun s given in Form 1.	Rs. konea for calcula	lined in each month.
	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten many the declaration of average em. (ii) The calculation of average em. (iii) Complete and up-to-date detal. Num of the manber of the fam.	65 years, or of 65 years That his include som of or calculating a columents should be its of the family as	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
N	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten many the description of average emily of the calculation of average emily. (ii) Complete and up-to-date details. Name of the family.	65 years, or of 65 years That his include som of or calculating a columents should be its of the family as	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten mailed brokward has to be take. (ii) The calculation of average em. (iii) Complete and up-to-date details. Nam of the mailed of the familie.	65 years, or of 65 years That his include som of or calculating a columents should be its of the family as	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
N 1. 2 3	physic to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten many the description of average emily of the calculation of average emily of the family. (iii) Complete and up-to-date details. Name of the family.	65 years, or of 65 years That his include som of or calculating a columents should be its of the family as	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
N - 1. 2 3 4	physic to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten main to be take. (ii) The calculation of average em. (iii) Complete and up-to-date detail. Name of the familie. 1 2 2. 3. 4.	65 years, or of 65 years That his include som of or calculating a columents should be its of the family as	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
N 1 2 3 4	physic to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten mained backward has to be take. (ii) The calculation of average on (iii) Complete and up-to-date details. Name of the familie. 1 2 2 4. 5.	65 years, or of 65 years That his include som of or calculating a columents should be its of the family as	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
N 1. 2 3 4 5	physic to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age. *(i) In a case where the last ten mained backward has to be take. (ii) The calculation of average em. (iii) Complete and up-to-date details. Name of the familie. 1 2 2 4. 4. 5. Height	65 years, or of 65 years Daths include som of or calculating a columents should bils of the family as a sily	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
N 1 2 3 4 5 27	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age of (b) after attaining the age *(i) In a case where the last ten me riod backward has to be take (ii) The calculation of average em (iii) Complete and up-to-date detail. Nam of the familie. 1 2 2 4. 5. 7. Height R. Lientification marks	65 years, or of 65 years Daths include som of or calculating a columents should bils of the family as a sily	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
N - 1. 2 3 4	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age of (ii) In a case, where the last ten mailed brokward has to be take (iii) The calculation of average on (iii) Complete and up-to-date details. Name of the familia. 1. Name of the member of the familia. 2	65 years, or of 65 years Loaths include som of for calculating a columents should bils of the family as a fily	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
N 2 3 4 5 27 28 27	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age of (ii) In a case where the last ten me ried brokward has to be take (iii) The calculation of average em (iii) Complete and up-to-date detail. Nam of the member of the familie. 1 2 2. 3. 4. 5. 7. Height 8. Identification marks 7. Place of payment of pension 2. Head of Account to which pension	65 years, or of 65 years Loaths include som of for calculating a columents should bils of the family as a fily	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
N 2 3 4 5 27 28 27	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age of (b) after attaining the age *(i) In a case, where the last ten main above and the selection of average emission of average emission of the familia. (iii) Complete and up-to-date details. Name of the familia. 1. Name of the member of the familia. 2. 3. 4. 5. 7. Height 8. Identification marks 7. Place of payment of pension	65 years, or of 65 years Daths include som of or calculating a columents should b its of the family as only	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth 3	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee
N 2 3 4 5 27 28	physble to the family of the entakes place after retirement— (a) before attaining the age of (b) after attaining the age of (ii) In a case where the last ten me ried brokward has to be take (iii) The calculation of average em (iii) Complete and up-to-date detail. Nam of the member of the familie. 1 2 2. 3. 4. 5. 7. Height 8. Identification marks 7. Place of payment of pension 2. Head of Account to which pension	65 years, or of 65 years Daths include som of or calculating a columents should b its of the family as only	e based on actual nuns given in Form 1. Date of birth	Rs. konea for calcula	Relationship with the employee

or restring or invalid or compensation or compulsory retirement pension and gratuity, which, if any, (other than disallowance indicated in Part I of this Form)

27 (5)

÷ :	 Amount of supperannuation or retiring or invalid or compensation or com ion or gratuity that has been admitted, 	pulsory retirement pens-
í	The date from which superannuation or retiring or invalid or compensati throment pension or gratuity is admissible.	on or compulsory re-
4	4. Head of Account to which superannuation or retiring or invalid or com them the pension or gratuity is chargeable.	pansation or compulsory re-
5	5. The amount of the Family Pension, becoming payable to the entitled the event of death of the employee after retirement.	members of the family in
	SECTION 11	
	1. Name of the employee	***
	2. Class of pension or gratuity	•••
	3. Amount of pension authorized	
	4. Amount of gratuity authorized	***
	5. Date of commencement of pension 6. Amount of family pension in the event of death after retirement	*1*
6	(i) if death takes place before 65 years of age, or (ii) if death takes place after 65 years of age.	•••
7	7. The amount of graded relief admissible on pension	• •
	8. The dues recoverable out of gatuity before authorising its payment,	**** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
١.	o. The amount of cash depotit or the amount of gratuity held over for adjus	tment of unaccected
/ 3.	dues.	imont of massessed
1Ò.). Date on which the pension paper received by the Accounts Officers .	
	PENSION CALCULATION	ЗНРЕТ
A,	•	. '
В.	and a little of the West frame related westland	****
C.		
D.		***
E.	- a manufaction feeting mont	:
F.	and the state of the second se	
.G.	Qualifying service for pension indicating separately. (i) Addition to qualifying service as, for example, in (ii) Period of service not qualifying for pension with the reasons for not quagaintt each.	ualifying, indicated
H.	Emplements drawn during the last 10 months (along with the pay scale), pr superannuation (pay, special pay, deputation allowance, peronal pay, dearr lief etc.)	eceding retirement/. less pay, interim reli-
ī.	Computation of average emoluments on which pension fixed.	•••
) J.	Total amount of pension, and family pension sanctioned.	
ĸ.	Details of Commutation of pension	•
	(i) Percentage amount of monthly pension commuted; and	•••
	(ii) Amount of commuted value of pension authorised.	• •••
L.		•••
	Amount of Death-cum-Retirement Gratuity sanctioned.	***
N.	Remarks FORM 4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•	
	[See rule 28(1)] FORM OF LETTER TO THE WIDDW/WIDOWER OF A DECEASE	DEMPLOYEES FOR GRANT OF FAMILY
	PENSION	No
То	,	
	Subject.—Payment of Family Pension, in respect of late Shri/Shrimati	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sir/N	Madam,	
	Tam directed to say that in terms of Oil Industry Dayslonment Roard Empl	oyee (Pension) Rules, 1990 a family pension, is payette
	you a widow/widower of the late Shri/Shrimati (Designati 2. You are advised that a claim for the grant of family pension, may be sub	mitted in the enclosed Form 5.
	3. The family pension will be payable till your death or remarriage, whicher riage, the family pension shall be granted to the child or children, if any,	or occurs earlier! In the event of your death, or re-
, ··· 4 ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Yours faithfully, Accounts Officer.

&N/C 8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

FORM 5

[See rule 36(1) and Rule 38(4), (5) and (8)]

(i) Wide	ow/Widower) dian if the deceased	l person is surviv	ved by child or cl	hildren, .	_		:		
Name and	age of surviving w	idow/widower ar	nd children of the	deceased employe	ee pensioner	•••			
orial No.	Name		lationship with the		Date of bir	th by	Christian	era	
	يتسار فإسب ليدني ويسب ليسان يقمان ويسان ويبهاء ويهدن ا						••••	-	
•		•						•	
•				4-	•	•			
5,				•	•				
5. '		·	<u></u>						
			4.1 1 4 1	tankt			. :		٠
	nd No. of the Pension		of the deceased pe	ensioner	•				
	death of the employe		a must look		•••			•	
5. Office in	which the deceased	employee pensior	ier serveu last.	on which shalba ma	 to he in receipt				
on the	oplicant is a widow/iv date of death of the l	usband/wife.	If of service bensi	on Anion proling in					•
	iress of the applicant							-	
	payment of pension	and Gratuity and	d Bank.		,		•		
	ures: 70 specimen signature eets)	s of the applican	t, duly attested (To	be furnished in tw	o separate		•	•	
(iii) Tu	to copies of passport vo slips each bearing tested.	size photograph left hand thumb	of the applicant, d and finger impress	uly attested. ions* of the applica	int duly	,	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
To be fuca	ished in case the app	plicant is not liter	ate enough to sign	his name.	٠ ٠.			r	
(iv) Da if : (T	escriptive Roll of the any, on the hand, fac to be furnished in du	applicant, duly a e, etc. (Specify a plicate).	ttested, indicating (few conspicuous m	(a) height; and (b) parks, not less than	two, ii possible)		•	. •	
ch ch in	ertificate(s) of age (in ildren. The certifica tayat or from the head formation should b hose date of birth are	te should be fron I of a recognised to the furnished in re	a the Municipal Av school if the child i espect of such child	itherities or from t s studying in such s I or children, the	ne 10cai pan- chool. (This	٠			•
mont a	e whether family pen and/or a public sector Government.	sion is admissible r undertaking/aul	o from any other so tonomous body/loc	ource—Military or to cal fund under the t	State Govern- Central or a	-		-	
10. Signat	ture or left hand thur	nb-impression* o	f the applicant.					,	
11. Attes	ted by:							•	
	Name		Full /	Address		Sign	ature		
(i)———	<u></u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	···	. ; ; .	 .	<u> </u>	
(ii)———			· . ·		···			• • •	<u></u>
12. Witn			*				. <u> :</u>		<u> </u>
	<u>. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —</u>	·			,		-		

मारत की राजात असाधारण

83

1. h. 32330f (3-m) relage of the widow while applying for family pension on behalf of the minor child, the widow should furnish.

(i) h. steef here: m relage, (ii) her full a licess in the application for family pension. It is not necessary to furnish a fresh application 1): h. 1021.11:13 13 they realized by realizable with the pendion papers on which family pension was originally admitted to here.

FORM 6

[See Rule 37(1)]

F) \ M F) ? A53333IN 3 AND AUTHORISING THE PAYMENT OF FAMILY PENSION AND DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY WHEN ANEMPLOYEE DIES WHILE INSERVICE.

PART I

Section I

- 1. Nama of the deceased employee
- Father's name (and also husband's name in the case of female employee,
- 3. Date of Birth (by Chiristian era)
- 4. Dite of Dath (by Christian era)
- 5. Religion

Office in which last employed

- 7. Appoin ment hold last
- 8. Date of beginning of service
- 9. Date of ending of service
- 19. (i) Ti'al priod of military service for which pension gratuity was sanctioned and
 - (ii) An 1.11 1nd 1.11u/e of any pansion gratuity received for the military service.
- Amount and nature of any pension received for previous civil service, if any
- Union which service has been rendered in order of employment
- The fate on which intimation regarding the death of Employee was received.
- 14. The date on which action initiated to complete the service record and assess the empluments etc. qualifying for death-cum-retirement gratuity and family pension.
- 15. Whathar nomination made for
 -)(i) death-cum-retirement gratuity
- 16. Leagth of service qualifying for death-cum retirement gratuity/ pension.
- 17. Pariods of non-qualifying service-
 - (i) Intercuption in service condoned under
 - (ii) Extraordinaryleave not qualifying for gratuity.
 - (iii) Priofof supension treated as non-qualifying.
 - (iv) Any other service not treated as qualifying service.

 Total period of non-qualifying service
- (a) Empluments reckoning for death-cum-retirement gratuity(b) Amount of death-cum-retirement gratuity
- 19 If Family Pension, applies: . -
 - (i) Proposed Family Pension at-
 - (1) 'sih inced rates [if service rendered at the time of death is more than seven years]
 - . (b): Ordinary rates-
- 20. Persons to whom family pension is payable

Relationship with the deceased Employee Full postaladdress

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

30 ⋳	·			- 1 '2	*	
	D nails of dues recoverable	out of grafutily only of most	ener California		越	
.:	(i) Licance fee for occupa (ii) Other dues Andrew	The section is the Al			•	
	(ii) Other dues.					
22.	Dite on which claim reco	eived from the claimant	ofh Ollow-			
	Dite on which closing too Name of gracilian who w refirement gratuity and far		an-com-			
.,	Is it sin an extension		•			
24.	Place of payment.	L dogth-cum-retirement B	ratuity and			
25.	Had of Account to water family pension are debitab	ile.				
Pla	св	•			Signature of :	
ma	ted the	-		•		
			PART II	•	·	
	•		Section I			
			D6011011 x	•	•	
Aı	nount Enfacement					
1	Tetal pariod of qualifying	service			•)	
	which has been accepted.	r Or			.: /	
	(ii) Bamily Pension					
,		justing dues.	• .	Amount '	Priod of tentability	
	 Net mount of gratuity and Amount and the period of 	f tentability of Family Pen	sion.		Ream To	-
_	If death took place	•	••••	Rs.	From To	
	(i) before seven years s	ervice	•			
	(ii) after seven years ser	vice	Section II		•	
	(ii) this is a second		Section 11	4.5.		
	1. Name of the deceased E	mployee				
			,, ,			
	 Date of death of the East Date on which pension 	paners received by the Acco	ounts .	•	•	
	3. Date on which person.	F./F.			the state of the s	
	Officer. 4. Amount of family pensi	on authorised.	: ** *		•	
		nonsea.				
	5. Amount of gratury days 6. Date of commencment	of family pension	•		: *	
	6. Date of commencements 7. Date on which payme	ent of family pension an	d gratuity '		: · ·	
	7. Date on Which payme	OUA Or and a said				
	authorised.	om oratnity.		•	; * · · · ;	١
	8. Amount recoverable fro	Our Program			Accounts Officer.	,
	Place				Accounts	
			FORM 7	٠		
	Dated the .	.:	[See Rule 386	O)]	OPARETIRED EMPLOYEE	ΥE
	FORM OF LETTER SAN DIES AFTER RETIREM	CTIONING FAMILY PE	NSION TO THE C	A WIDOW OR WIDO	OFARETIRED EMPLOYEE WER.	
	FORM OF LETTER RETIREM	ENT BUT DOES NOT	LEAVE PURITIE			
	DIES WATER WATER	,		Dated	the	-
	π	and the second second second second	hitálckiláren.	•		
-	_To Subject :_Grant	of Family Pension to the c	TOTAL AND TOTAL		e man after a man a m	,
	Sir,	hat Shri/Shrimati	· <u> </u>		(Designation)	
	in Oil Industry Developme	والاستان الماسان	nension of Rs.		The same of the sa	
	in Oil Industry Developme	ent Board was authorised	penorus es ses	on his/her reti	rement from service	
	a a st . + for m				areuron	
	2. Intimation has been and that at the time of de	on re eived in this Office the	r but was survied b	y the following children	·	
	and that at the time of de	Still 16 It no minor/pinone	Son/Daughter			ន្តពារ ឯក
	N	ame .	20ni Dangmen	Christian era	pension ceases to payable	υ0,
	Si. No.	•		• 11UTT 1	payable	،نــ
	110.					
	(2)					
	· (3)					
	(4)		• •		·	

				•
to the oblider in the order mentioned	l above. The Fami	mployee's (Pension ly Pension will I	n) Rules the amount of Fa to payable on behalf of the	mioor to Shri/Shrimati
4. Sanction for the grant of Fan	aily Pension, of R	,9, 	por	month to the children mentioned
5. Attention is invited to the info	rmation furnished	in the list of encl	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	ndly be acknowled	ged and thit office		for the payment of Family Pension
	F:		Yours fait	hfully,
				t Authority
1. Permanent address of the guard	2) a	List of enclosu	fes	
2. Place of payment.		ŧ		•
 Specimen signature or *left har To be furnished in the case of ti 	id thumb and fiza ie guardian who i	er Impressions of	the claimant or guardian	duly attested.
=5 40 tm.Atm. A 100 0430 Of th	io guardian ano is		ga to sign his or ner name	
		FORM 8 (See Rule 38(10)	\ \1	•
FORM OF LETTER SANCTIONING	FAMILY PRNSI			CYTE DE PETT ON NEW FLANCE & A
WIDOW/WIDOWER WHO WA	S IN RECEIPT	OF FAMILY PI	BNSION:.	
•			No	
•		· •	Office of	
To			Dated the	
Subject: Grant of Family Pe	nsion to the child,	children.		
Sir,				
I am directed to say that Shri/Shrin	nati			idower of late Shri/Shrimati
		form	erly	
in this Office was authorised the payment	ent of Family Per	islan of Re		(designation)
	⊸хие гапшу геп	ision was tenable	till the death or remarrias	a of the widewhyldow-
2. Intimation has been recieved in	this Office that S	hri/Shrimati		-died/re-married on:
3 At the time of death/re-marria	ge Shri/Shrimati-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		division on
had following children*:			•	
SI, Name	Son/		Dute of birth in	Date from which the
No.	Daughter		Christian era.	family pension ceases to be payable.
(1)				
	: .	•		
(4)			(
* The name of children should be men the retirement of the employee or the should not be included.	Author and bled I	ceany netoretenic	ement should be included by	it children born after retirement
4. The Family Pension has become p behalf of the minors to Shri/Shrimati	payable to the chi	ldren in the order	mentioned above. The Far	mily Pension will be payable on .
5. Sanction for the grant of Family Pel	nsion Rs.			
above is hereby accorded.			per m	onth to the children, mentioned
•			Yours faithfu	illy,
•		~	Competent A	nthority
1. Permanent address of the guardian.	-	List of enclosure	NS .	·
 Place of payment. 		•		•
3. Specimen signature or left *hand thu	imb and for a la			
4. Two attested copies of passport size ph	otograph of the ci	pressions of the	guardian, duly attested.	•
5. Descriptive roll of the guardian, duly	attested.	ernight,	•	•
To be furnished in the case of the guard	iau who is not lite	rate enough to si-	n his or har	•
	1 1 10 10 110	onough to sig	and of hel häine.	[F.No. 35012/6/87-Fin. II]
			n sinyai	JBRAMANIAN; Addi. Secy.
			• •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·